[2021] 4 एस. सी. आर 933

एम/एस। एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी.

एम/एस। इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड। & अन्य

(सिविल अपील सं। 3802-3803 / 2020)

11 जनवरी, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

इंदू मल्होत्रा और इंद्रा बनर्जी, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 8 , 11 और 37-महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958-एस. एस. 30 , 32ए, 33,34,35,36,37,41 और 58-वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 - एस. 13 (1ए)-प्रतिवादी

नहीं। 1 रुपये की बैंक गारंटी। कोयले को धोने के काम के लिए के. पी. सी. एल. द्वारा दिए गए कार्य आदेश के अनुसरण में, के. पी. सी. एल. के पक्ष में 29.29 करोड़-इसके बाद, प्रतिवादी नं. 1 अपीलार्थी कंपनी के साथ उसकी वाशरी से कोयले के परिवहन के लिए दिनांक 28.09.2015 (मध्यस्थता खंड के साथ) का उप-अनुबंध/कार्य आदेश दर्ज किया गया-अपीलार्थी कंपनी ने प्रत्यर्थी संख्या के बैंकर के पक्ष में रु. 3,36,00,000/- की बैंक गारंटी भी प्रस्तुत की। 1 - के. पी. सी. एल. और प्रतिवादी नं. 1 , जिसके कारण के. पी. सी. एल. द्वारा बैंक गारंटी का आह्वान किया गया-बदले में, प्रतिवादी नं. 1 अपीलार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी का आह्वान किया गया-अपीलार्थी ने इसके खिलाफ एक दीवानी वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया

उत्तरदाता नं। 1 एक घोषणा के लिए कि प्रतिवादी नं। 1 बैंक गारंटी को भुनाने का हकदार नहीं था क्योंकि कार्य आदेश पर कार्रवाई नहीं की गई थी-यह भी आरोप लगाया गया था कि बैंक गारंटी का आह्वान धोखाधड़ी था-वाणिज्यिक न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया-प्रतिवादी नं। 1 एक आवेदन यू/दायर किया मध्यस्थता के संदर्भ की मांग करने वाले 1996 के अधिनियम की धारा 8-द्वारा खारिज किया गया आवेदन

वाणिज्यिक न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि कार्य में मध्यस्थता खंड

दिनांकित 28.09.2015 आदेश एक सामान्य मध्यस्थता खंड नहीं था, जिसमें बैंक गारंटी शामिल होगी-बैंक गारंटी एक स्वतंत्र अनुबंध रिट याचिका थी जो प्रत्यर्थी नं. 1 - उच्च न्यायालय ने कहा कि

वह अनुप्रयोग यू/एस। 8 1996 के अधिनियम को बनाए रखा जा सकता था और विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जा सकता था-यह भी माना गया कि फाइलिंग

वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष वाद न्यायोचित नहीं था-उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार के लिए उठाए गए मुद्दे थेः (i) क्या कोई मध्यस्थता समझौता लागू करने योग्य होगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी, भले ही 28.09.2015 का कार्य आदेश अनस्टैम्प्ड हो और अनस्टैम्प्ड हो।

मुद्रांक अधिनियम के तहत प्रवर्तनीय; (ii) क्या बैंक गारंटी के धोखाधड़ी के आह्वान का आरोप एक मध्यस्थता विवाद है; (iii) क्या मध्यस्थता के संदर्भ में आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश को चुनौती देने के लिए रिट याचिका बनाए रखने योग्य थी। एस. 8 का

1996 अधिनियम-आयोजित: कार्य आदेश पर स्टाम्प शुल्क का गैर-भुगतान या कमी मुख्य अनुबंध को अमान्य नहीं करती है-कार्य आदेश में निहित मध्यस्थता समझौता अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुबंधों से स्वतंत्र और अलग है। 3 महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए एक मध्यस्थता समझौते के अधीन नहीं है-पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर, मध्यस्थता समझौता अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुबंध से एक अलग और अलग समझौता होने के नाते, मूल अनुबंध से स्वतंत्र रहेगा-मध्यस्थता समझौते को अमान्य, अप्रवर्तनीय या अस्तित्वहीन नहीं माना जाएगा, भले ही मूल अनुबंध साक्षय में स्वीकार्य न हो, या स्टाम्प शुल्क का भुगतान न करने के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकती हो-धोखाधड़ी के नागरिक पहलू को मनमाना माना जाता है-धोखाधड़ी, जालसाजी या मनगढ़ंत के आपराधिक पहलू, जिसे दंडात्मक परिणामों के साथ देखा जाएगा और आपराधिक प्रतिबंधों को अदालत द्वारा समायोजित किया जा सकता है।

कानून का, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हो सकती है, जो सार्वजनिक कानून के दायरे में है-तत्काल मामले में, संबंध में धोखाधड़ी का आरोप

बैंक गारंटी का आह्वान मध्यस्थता योग्य है, क्योंकि यह पक्षों के बीच विवादों से उत्पन्न होता है और सार्वजनिक कानून के दायरे में नहीं है-प्रतिवादी नं। 1 यह रखरखाव योग्य नहीं था, क्योंकि यह संशोधित धाराओं के तहत एक वैधानिक उपाय था। 37 1996 अधिनियम उपलब्ध है।

मध्यस्थता-मध्यस्थता समझौता हुआ: एक मध्यस्थता

समझौता एक अलग और अलग समझौता है, जो मूल वाणिज्यिक अनुबंध से स्वतंत्र है जिसमें यह अंतर्निहित है-यह इस आधार पर आधारित है कि जब पक्ष एक मध्यस्थता खंड वाले वाणिज्यिक अनुबंध में प्रवेश करते हैं, तो वे प्रवेश कर रहे होते हैं।

दो अलग-अलग समझौते। (i) मूल अनुबंध जिसमें वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होने वाले पक्षों के अधिकार और दायित्व शामिल हैं; और, (ii) मध्यस्थता समझौता जो इसमें मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों को हल करने के लिए पक्षों का बाध्यकारी दायित्व शामिल है।

सिद्धांतों/सिद्धांतों की पृथकता का सिद्धांत

मध्यस्थता समझौता-आयोजित: एम/एस की पृथकता का सिद्धांत।

एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड। & अन्य

मध्यस्थता समझौते का तात्पर्य है कि अवैधता, अप्रभावीता या मूल वाणिज्यिक अनुबंध की समाप्ति, मध्यस्थता समझौते की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी, सिवाय इसके कि मध्यस्थता समझौते पर सीधे इस आधार पर महाभियोग चलाया जाए कि मध्यस्थता समझौता शुरू से ही अमान्य है।

कोम्पेटेंज़ के सिद्धांत/सिद्धांत-आयोजित:

कोम्पेटेंज़ का तात्पर्य है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास आपत्तियों सहित अपने अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करने और शासन करने की क्षमता है। मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व, वैधता और दायरे के संबंध में, पहली बार में, जो कार्यवाही के बाद के चरण में अदालतों द्वारा न्यायिक जांच के अधीन है।

इसके तहत

मध्यस्थता अधिनियम, न्यायालय के समक्ष चुनौती केवल अंतिम निर्णय पारित होने के बाद ही बनाए रखी जा सकती है जैसा कि धाराओं की उप-धारा (6) द्वारा प्रदान किया गया है। 16 .

इस मुद्दे को संविधान पीठ को संदर्भित करते हुए, न्यायालय ने पकड़ना: अनस्टैम्प्ड में मध्यस्थता समझौते की वैधता

समझौता।

1. मुद्रांक अधिनियम एक वित्तीय उपाय है जिसे सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया है

कानून द्वारा या पक्षों की सहमति से, साक्षय प्राप्त करने की शक्ति, जब तक कि ऐसे साधन पर विधिवत मुहर नहीं लगाई जाती है। धारा 34 के परंतुक में कहा गया है कि अपेक्षित स्टाम्प शुल्क के भुगतान पर, दस्तावेज को साक्षय में स्वीकार किया जा सकता है। भारतीय डाक टिकट अधिनियम में आने वाले "किसी भी उद्देश्य के लिए" शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की गई थी राम रतन बनाम में प्रिवी काउंसिल। परमा नंद। [पैरा 5.4] [969 एफ-एच]

2. कार्य आदेश में निहित मध्यस्थता समझौता

यह अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुबंध से स्वतंत्र और अलग है। मध्यस्थता समझौता एक ऐसा समझौता है जो विवाद समाधान का तरीका प्रदान करता है। महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 3 विभिन्न अन्य समझौतों [2021] 4 एस. सी. आर. के विपरीत, स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए एक मध्यस्थता समझौते के अधीन नहीं है।

अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध। यह स्पष्ट कारण है कि एक मध्यस्थता समझौता एक वाणिज्यिक समझौते से उत्पन्न विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से हल करने के लिए एक समझौता है। पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर, मध्यस्थता समझौता अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुबंध से एक अलग और अलग समझौता होने के कारण, मूल अनुबंध से स्वतंत्र रहेगा। मध्यस्थता समझौते को अमान्य, अप्रवर्तनीय या अस्तित्वहीन नहीं माना जाएगा, भले ही मूल अनुबंध में स्वीकार्य न हो।

साक्षय, या मुद्रांक शुल्क का भुगतान न करने के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकती है। [पैरा 6.4] [977-जी-एच; 978-ए-बी]

3. इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थता समझौते की प्रवर्तनीयता में कोई कानूनी बाधा नहीं है, जिसका भुगतान लंबित है

मूल अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क। कार्य आदेश या मूल वाणिज्यिक अनुबंध के तहत अधिकारों और दायित्वों का निर्णय हालांकि इससे पहले आगे नहीं बढ़ेगा।

मुद्रांक अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करना। [पैरा 6.6] [979-जी-एच; 980-ए] 4. मुद्रांक अधिनियम में निर्दिष्ट कुछ वर्गों के उपकरणों पर राज्य को मुद्रांक शुल्क के भुगतान के लिए एक वित्तीय अधिनियम है।

डाक टिकट अधिनियम। भारतीय डाक टिकट अधिनियम, 1899 की धारा 40 उन उपकरणों के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है जिन्हें जब्त कर लिया गया है, और धारा 42 की उप-धारा (1) में संबंधित कलेक्टर द्वारा विधिवत मुहर लगाने के बाद उपकरण का समर्थन करने की आवश्यकता है। धारा 42 (2) में प्रावधान है कि दस्तावेज़ पर विधिवत मुहर लगने के बाद, यह साक्षय में स्वीकार्य होगा, और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। [पैरा 6.7] [980-बी-सी]

5. इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, एस. एम. एस. टी एस्टेट्स में निर्णय दो मुद्दों पर कानून में सही स्थिति निर्धारित नहीं करता है अर्थात (i) एक अप्रकाशित वाणिज्यिक में एक मध्यस्थता समझौता।

अनुबंध पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, या कानून में लागू नहीं किया जा सकता है; और (ii) कि एक मध्यस्थता समझौता अमान्य होगा जहां अनुबंध या साधन एक पक्ष के विकल्प पर अमान्य है।

जैसे यू/एस। 19 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872। यह न्यायालय मानता है कि चूंकि मध्यस्थता समझौता एक स्वतंत्र समझौता है

पक्षों के बीच, और डाक टिकट के भुगतान के लिए प्रभार्य नहीं है शुल्क, वाणिज्यिक अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क का गैर-भुगतान, मध्यस्थता खंड को अमान्य नहीं करेगा, या इसे गैर एम/एस प्रदान नहीं करेगा।

एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड। & अन्य

प्रवर्तनीय, क्योंकि इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। मूल अनुबंध के पंजीकरण पर मध्यस्थता खंड की पृथकता के मुद्दे पर न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का स्टाम्प अधिनियम के संबंध में भी पालन किया जाना चाहिए था। मूल अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान न करने से मुख्य अनुबंध भी अमान्य नहीं होगा। यह एक ऐसी कमी है जिसे आवश्यक स्टाम्प शुल्क के भुगतान पर ठीक किया जा सकता है। [पैरा 6.8] [980-सी-एफ]

6. गरवारे फैसले ने एस. एम. एस. टी एस्टेट्स में फैसले का पालन किया है। अपीलार्थी के वकील ने निर्भरता रखी है

निर्णय के अनुच्छेद 22 पर यह तर्क देने के लिए कि मध्यस्थता

अदालत का मानना है कि यह निष्कर्ष गलत है, और कानून में सही स्थिति निर्धारित नहीं करता है। यह न्यायालय पहले ही मान चुका है कि एक मध्यस्थता समझौता अंतर्निहित मूल वाणिज्यिक अनुबंध से अलग और स्वतंत्र है। एक बार जब मध्यस्थता समझौते का एक स्वतंत्र अस्तित्व माना जाता है, तो वाणिज्यिक अनुबंध की कथित अयोग्यता की परवाह किए बिना इस पर कार्रवाई की जा सकती है। [पैरा 6.10] [980-बी-डी] 7. यह न्यायालय विद्या द्रोलिया में तीन न्यायाधीशों की पीठ के पैराग्राफ 92 में लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर संदेह करता है। यह न्यायालय गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड के पैरा 22 और 29 के निष्कर्षों को, जिसकी विद्या द्रोलिया के पैरा 92 में पुष्टि की गई है, पाँच सदस्यीय संविधान पीठ को संदर्भित करना उचित समझता है।

न्यायाधीशों। [पैरा 6.12] [983-बी]

8. अगला मुद्दा जो उत्पन्न होता है वह यह है कि कौन सा प्राधिकरण धारा के तहत उपकरण को जब्त करने की शक्ति का प्रयोग करेगा।

33 महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 34 के साथ पढ़ा जाता है, ऐसे मामले में जहां मूल अनुबंध में एक मध्यस्थता समझौता होता है।

[पैरा 7] [983-सी]

9. मध्यस्थता समझौते में, विवादों को तीन तरीकों से मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है। क) पहला तरीका यह है कि मध्यस्थ की नियुक्ति पक्षकारों द्वारा सहमति से की जाती है।

न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना मध्यस्थता समझौते की शर्तें, या एक नामित मध्यस्थ संस्था द्वारा।

संबंधित कलेक्टर। यह स्टाम्प अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों से स्पष्ट होगा जो प्रदान करता है कि "कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्षय प्राप्त करने का अधिकार होना "कानून द्वारा उपकरण को जब्त करने और पक्षकारों को आवश्यक स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए अनिवार्य है।

ख) नियुक्ति का दूसरा तरीका वह है जहां पक्ष मध्यस्थता के अनुसार नियुक्ति करने में विफल रहते हैं। समझौता, और नियुक्ति करने के लिए डिफ़ॉल्ट शक्ति का आह्वान करने के लिए अदालत के समक्ष धारा 11 के तहत एक आवेदन दायर किया जाता है। ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, जैसा भी मामला हो, धारा 11 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए,

मूल अनुबंध को जब्त करें, जिस पर या तो मुहर नहीं लगी है या अपर्याप्त रूप से मुहर लगी है, और पक्षकारों को मध्यस्थ/न्यायाधिकरण द्वारा अनुबंध पर निर्णय लेने से पहले दोष को ठीक करने का निर्देश दें।

ग) तीसरा तरीका है जब धारा 8 के तहत विवादों के संदर्भ के लिए न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किया जाता है।

मध्यस्थता, क्योंकि अनुबंध का विषय एक मध्यस्थता समझौते द्वारा कवर किया जाता है। ऐसे मामले में न्यायिक प्राधिकरण मध्यस्थता का संदर्भ देगा। हालांकि, इस बीच, पक्षों को मूल अनुबंध करने का निर्देश दिया जाएगा संबंधित स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुहर लगाई गई है, ताकि मूल अनुबंध से उत्पन्न अधिकारों और दायित्वों पर निर्णय लिया जा सके। [पैरा 7.1] [983-डी

एच] क्या बैंक गारंटी का धोखाधड़ीपूर्ण आह्वान मध्यस्थता योग्य है?

10. इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, सभी दीवानी या वाणिज्यिक विवाद, या तो संविदात्मक या गैर-संविदात्मक, जिन पर निर्णय लिया जा सकता है।

एक दीवानी अदालत द्वारा, सिद्धांत रूप में, निर्णय लिया जा सकता है और मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जा सकता है, जब तक कि इसे या तो स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया जाता है

कानून, या आवश्यक निहितार्थ द्वारा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 विवादों की किसी भी श्रेणी को बाहर नहीं करता है।

गैर-मध्यस्थ होने के रूप में। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (3) मेसर्स।

एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड। & अन्य

हालाँकि यह माना जाता है कि कानून द्वारा विवादों की कुछ श्रेणियों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। सभी क्षेत्राधिकारों में, विवादों की कुछ श्रेणियां विधायिका द्वारा, सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में, कानून की अदालत द्वारा निर्णय लेने के लिए आरक्षित हैं, क्योंकि वे सार्वजनिक कानून के दायरे में आते हैं। [पैरा 8.10] [988-एफ-जी; 989-ए] 11. परंपरागत रूप से, आर. ई. एम. में अधिकारों से संबंधित विवादों पर अदालतों और/या वैधानिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। आर. ई. एम. में अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर दुनिया के खिलाफ किया जा सकता है। आर. ई. एम. में कार्रवाई उन कार्यों को संदर्भित करती है जो कानूनी स्थिति पैदा करते हैं जैसे कि नागरिकता, तलाक, वसीयतनामा और प्रोबेट मुद्दे, आदि। पक्षकारों की सहमति से गठित एक निजी न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता नहीं की जा सकती है। व्यक्तिगत रूप से की गई कार्रवाई विवाद के विषय के पक्षकारों के अधिकारों और हितों को निर्धारित करती है, जो मध्यस्थता योग्य हैं। विवादों की व्यापक श्रेणियां जिन्हें गैर-मध्यस्थ माना जाता है, वे दंडात्मक अपराध हैं जिन्हें आपराधिक मंजूरी के साथ देखा जाता है; रिश्वतखोरी से संबंधित अपराध /

भ्रष्टाचार; तलाक, न्यायिक अलगाव, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, बाल अभिरक्षा से संबंधित वैवाहिक विवाद और

संरक्षकता के मामले, जो किसी व्यक्ति की स्थिति से संबंधित हैं; वसीयती मामले जो वसीयत की वैधता, प्रोबेट की मंजूरी, प्रशासन के पत्रों से संबंधित विवादों से संबंधित हैं,

उत्तराधिकार, जो किसी व्यक्ति की स्थिति से संबंधित है, और दीवानी अदालतों द्वारा निर्णय लिया जाता है। [पैरा 8.11] [989-बी-डी]

12. धोखाधड़ी के नागरिक पहलू को समकालीन मध्यस्थता न्यायशास्त्र में मध्यस्थ माना जाता है, जिसमें केवल

अपवाद यह है कि जहां आरोप यह है कि मध्यस्थता समझौता स्वयं धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के प्रलोभन से दूषित हो जाता है, या

धोखाधड़ी अंतर्निहित अनुबंध की वैधता पर जाती है, और मध्यस्थता खंड पर ही महाभियोग लगाती है। मामलों की एक अन्य श्रेणी वह है जहां भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 10 के तहत मूल अनुबंध को "स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित" किया जाता है, जहां समझौता एक नाबालिग (अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना) या एक पागल द्वारा किया जाता है, जो एक अनुबंध में प्रवेश करने में अक्षम पक्ष के साथ होगा। [पैरा 8.12] [990-बी-डी] [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. जिस आधार पर धोखाधड़ी को पहले गैर-मध्यस्थ माना जाता था, वह यह था कि इसमें भारी मात्रा में और व्यापक प्रावधान होंगे।

साक्षय, और मध्यस्थता में निर्णय लेने के लिए बहुत जटिल होगा। समकालीन मध्यस्थता व्यवहार में, मध्यस्थता न्यायाधिकरणों को विभिन्न क्षेत्रों में सामग्री की मात्रा को पार करने की आवश्यकता होती है।

तेल, प्राकृतिक गैस, निर्माण उद्योग आदि जैसे विवादों के प्रकार। यह आधार कि धोखाधड़ी के आरोप मनमाने नहीं हैं, एक पूरी तरह से पुराना दृष्टिकोण है, जो अप्रचलित हो गया है और खारिज किए जाने योग्य है। हालांकि, धोखाधड़ी, जालसाजी या मनगढ़ंत का आपराधिक पहलू, जिसे दंडात्मक परिणामों के साथ देखा जाएगा

और आपराधिक प्रतिबंधों का निर्णय केवल कानून की अदालत द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप एक दोषसिद्धि हो सकती है, जो सार्वजनिक कानून के दायरे में है। [पैरा 8.16] [992-ई-जी] 14. वर्तमान मामले में, बैंक गारंटी के आह्वान के संबंध में धोखाधड़ी के आरोप मनमाने हैं, क्योंकि यह

पक्षकारों के बीच विवादों से उत्पन्न होता है, और यह सार्वजनिक कानून के दायरे में नहीं है। [पैरा 8.17] [993-ए]

रिट याचिका की रखरखाव क्षमता

15. इस न्यायालय का विचार है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांकित 18.01.2018 आदेश को चुनौती देने के लिए दायर रिट याचिका वाणिज्यिक विवाद सं. 62/2017 में विशेष वाणिज्यिक न्यायालय/जिला न्यायाधीश-I द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव विचारणीय नहीं था, क्योंकि मध्यस्थता अधिनियम की संशोधित धारा 37 के तहत एक वैधानिक उपाय उपलब्ध है। [पैरा 9.1] [993-बी-सी]

16. चूंकि वाणिज्यिक न्यायालय का निर्णय और आदेश दिनांक 18.01.2018 पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार कर रहा था

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 (1) (ए) के तहत एक अपील योग्य आदेश, रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी। अपील उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के समक्ष होगी

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13 (1ए)। [पैरा 9.2] [993-ई-एफ]

17. यह न्यायालय निम्नलिखित मुद्दे को संविधान पीठ द्वारा अधिकृत रूप से हल करने के लिए संदर्भित करना उचित समझता है।

इस न्यायालय के पाँच न्यायाधीश:

" क्या वैधानिक बाधा धारा 35 में निहित है

भारतीय डाक टिकट अधिनियम, 1899 उपकरणों पर लागू होता है।

एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड। & अन्य

धारा 3 के तहत स्टाम्प शुल्क के लिए प्रभार्य अधिनियम की अनुसूची, ऐसे लिखत में निहित मध्यस्थता समझौते को, जो स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए प्रभार्य नहीं है, गैर-मौजूद, अप्रवर्तनीय, या अमान्य, स्टाम्प शुल्क के लंबित भुगतान के रूप में भी प्रस्तुत करेगी।

मूल अनुबंध/साधन पर? " [पैरा 12] [995-सी ई] विद्या द्रोलिया और ओआरएस। वी. दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन [2019] एससीआर 465; गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम। तटीय समुद्री निर्माण और इंजीनियरिंग लिमिटेड

(2019) 9 एस. सी. सी. 209 [2019] 5 एस. सी. आर. 579 को संविधान पीठ को भेजा गया।

एस. एम. एस. टी एस्टेट्स प्रा. लिमिटेड वी. एम/एस। चांदमारी टी कंपनी प्रा. लि. लिमिटेड (2011) 14 एससीसी 66: [2011] 9 एस. सी. आर. 382-आंशिक रूप से खारिज।

उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड बनाम। उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड (2020) 2 एस. सी. सी. 455; ए. अय्यासामी बनाम।

एस. बी. पी. एंड कंपनी वी. पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (2005) 8 एससीसी 618: [2005] 4 पूरक। एस. सी. आर. 688; राष्ट्रीय बीमा कंपनी v. बोघरा पॉलीफैब (2009) 1 एस. सी. सी. 267: [2008] 13 एस. सी. आर. 638; मायावती ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम। प्रद्युत देब बर्मन। (2019) 8 एससीसी 714: [2019] 12 एस. सी. आर. 123; श्रीराम ई. पी. सी. लिमिटेड बनाम। रियोग्लास सोलर एसए (2018) 18 एससीसी 313 [2018] एससीआर 749; डचूरो फेलगुएरा बनाम। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एससीसी 729: [2017] 10 एससीआर 285; एन. राधाकृष्णन बनाम। उस्ताद इंजीनियर। (2010) 1 एस. सी. सी. 72 [2009] 15 एस. सी. आर. 371; अब्दुल कादिर बनाम माधव प्रभाकर एआईआर 1962 एससी 406: [1962] 3 एस. सी. आर. 702; भारत रसिकलाल आश्रम बनाम। गौतम रसिकलाल आश्रम (2012) 2 एस. सी. सी. 144: [2011] 10 एस. सी. आर. 685; अमित लालचंद शाह और अन्य। वी. ऋषभ एंटरप्राइजेज एंड एन. आर. (2018) 15 एस. सी. सी. 678 [2018] 6 एस. सी. आर. 1001; राशिद रजा बनाम। सदफ अख्तर (2019) 8 एस. सी. सी. 710: [2019] 12 एससीआर 460; एविटेल [2021] 4 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड और अन्य। वी. एचएसबीसी पीआई होल्डिंग्स

(मॉरीशस लिमिटेड) (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 656; नैना ठक्कर बनाम। अन्नपूर्णा बिल्डर्स। (2013) 14 एस. सी. सी. 354; डेक्कन पेपर मिल्स बनाम। रीजेंसी महावीर (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 655; बूज़ एलन एंड हैमिल्टन इंक. बनाम। एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड (2011) 5 एस. सी. सी. 532: [2011]

7 एस. सी. आर. 310; स्विस टाइमिंग लिमिटेड बनाम राष्ट्रमंडल खेल 2010 आयोजन समिति (2014) 6 एससीसी 677: [2014] 6 एस. सी. आर. 514; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम संबद्ध

ठेकेदार (2015) 1 एससीसी 32: [2014] 10 एस. सी. आर. 426; स्विस टाइमिंग लिमिटेड. एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड और अन्य। वी. एचएसबीसी पी. आई. होल्डिंग्स (मॉरीशस लिमिटेड) (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 656; अविनाश कुमार चौहान बनाम। विजय कृष्ण मिश्रा (2009) 2 एस. सी. सी. 532; ब्लैक पर्ल होटल्स (पी) लिमिटेड बनाम। प्लैनेट एम. रिटेल लिमिटेड (2017) 4 एससीसी 498; मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम। भारत संघ (2011) 12 एस. सी. सी. 357; ए. अय्यासामी बनाम। ए. परमशिवम और अन्य। (2016) 10 एससीसी 386: [2016] 11 एस. सी. आर. 521; एम्मार एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड बनाम आफताब सिंह (2019) 12 एस. सी. सी. 751; विमल किशोर शाह और अन्य बनाम। जयेश दिनेश शाह और अन्य। (2016) 8 एस. सी. सी. 788 संदर्भित है।

राम रतन बनाम। परम नंद (1945-46) 73 IA 28: ए. आई. आर. 1946 पी. सी. 51-संदर्भित।

हेमन वी. डार्विन्स लिमिटेड [1942] एसी 356; ब्रेमर वल्कन शिफबाउ एंड मास्चिनेफैब्रिक बनाम। दक्षिण भारत नौवहन निगम [1981] एसी 909; हार्बर एस्योरेंस बनाम। कंस जनरल इंटरनेशनल इंश्योरेंस [1993] 1

लॉयड के प्रतिनिधि। 455 (सीए); लेसोथो हाइलैंड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम। इम्प्रेगिलो एसपीए और अन्यः

[2005] यूकेएचएल 43: [2006] 1 ए. सी. 221; गोसेट बनाम।

कैपरेली, कैस। सिविल. लेरे, 7 मई 1963 (डल्लोज़, 1963), 545; फियोना ट्रस्ट एंड होल्डिंग कॉर्पोरेशन बनाम। प्रीवालोव

[2007] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सी. आई. वी. 20; फिली शिपिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम। प्रीमियम नाफ्टा प्रोडक्ट्स लिमिटेड और अन्य [2007] यूकेएचएल 40; प्राइमा पेंट कॉर्पोरेशन बनाम। फ्लड एंड कॉन्क्लिन एम. एफ. जी. सीओ। 388 यूएस 395 (1967); बकी चेक कैशिंग, इंक

बनाम। कार्डेग्ना एट। अल यूएस एससी 440 (2006); प्राइमा पेंट और साउथलैंड कॉर्प। वी. कीटिंग। 79 एल एड 2 डी:

465 एम/एस। एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड। & अन्य

यूएस 1 (1984); किराया-ए-सेंटर, वेस्ट, इंक. बनाम। जैकन 561 यूएस 63 (2010); रसेल बनाम। रसेल [1880] 14 Ch. डी 471 -

संदर्भित किया गया।

आइवरी प्रॉपर्टीज एंड होटल्स प्रा. लिमिटेड वी. नुस्ली नेविल वाडिया 2011 (2) अरब एल. आर. 479 (बम); आर. आर. बी. एनर्जी लिमिटेड बनाम। वस्त्र

पवन प्रणाली और अन्य। (2015) 219 डीएलटी 516-संदर्भित

को। मध्यस्थता के कानून पर मल्होत्रा की टिप्पणी,

[4 टी. एड. , वोल्टर्स क्लूवर (2020)], p.339, खंड I।

मामला कानून संदर्भ

(2020) 2 एससीसी 455

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4.2

[2016] 11 एससीआर 521

उस पर भरोसा करें

पै

रा 4.3

[2019] 5 एससीआर 579

ए को संदर्भित किया गया है

पैर

ा 5.1

संविधान पीठ

(2013) 14 एससीसी 354

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5.1

(2009) 2 एस. सी. सी. 532

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 5.3

(2017) 4 एससीसी 498

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 5.3

[2011] 9 एससीआर 382

आंशिक रूप से अस्वीकृत

पै

रा 5.6

[2005] 4 पूरक। एससीआर 688

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5.7

[2008] 13 एससीआर 638

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5.7

(2011) 12 एससीसी 357

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 5.7

[2017] 10 एससीआर 285

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 5.8

[2019] 12 एससीआर 123

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5.8

[2018] एससीआर 749

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[1969] 3 एससीआर 736

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6.5

[2019] एससीआर 465

ए को संदर्भित किया गया है

संविधान पीठ

पैर

ा 6.11

[2009] 15 एससीआर 371

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 8.3

संदर्भित किया गया है

[2011] 10 एससीआर 685

संदर्भित किया गया है

पैरा 8.8

[2016] 11 एससीआर 521

पैरा 8.6

संदर्भित किया गया है

[2019] 12 एससीआर 460

संदर्भित किया गया है

पैरा 8.7

[2018] 6 एससीआर 1001

पैरा 8.8

संदर्भित किया गया है

पैरा 8.11

(2019) 12 एस. सी. सी. 751

संदर्भित किया गया है

(2016) 8 एस. सी. सी. 788

पैरा 8.11

संदर्भित किया गया है

[2011] 7 एससीआर 310

संदर्भित किया गया है

पैरा 8.11

[2014] 6 एससीआर 514

पैरा 8.15

संदर्भित किया गया है

[2014] 10 एससीआर 426

संदर्भित किया गया है

पैरा 8.15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 3802

3803 2020 से।

डब्ल्यू. पी. सं. 1801 में दिनांकित 30.09.2020 निर्णय और आदेश से।

2020 और नागपुर में बॉम्बे बेंच में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आर. ए. एस. टी. संख्या 9819/2020 में दिनांकित <आई. डी. 1।

ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , श्याम देवानी, गगन संघी और

रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सिद्धार्थ डेव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राजुल श्रीवास्तव, सुश्री चारू अंबवानी,

अमित खरे, संजय कपूर, संबित पांजा और सुश्री मेघा कर्णवाल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदू मल्होत्रा, जे.

1. यह मामला आवेदन के संबंध में दिलचस्प मुद्दे उठाता है।

किसी मध्यस्थता समझौते को उस अंतर्निहित मूल अनुबंध से अलग करने के सिद्धांत का जिसमें वह अंतर्निहित है; क्या कोई मध्यस्थता समझौता कानून में अस्तित्व में नहीं होगा, अमान्य या अप्रवर्तनीय

होगा, यदि अंतर्निहित अनुबंध पर प्रासंगिक स्टाम्प अधिनियम के अनुसार मुहर नहीं लगाई गई थी; और क्या मूल अनुबंध के तहत प्रस्तुत बैंक गारंटी के धोखाधड़ी के आह्वान के आरोप, एक मध्यस्थता विवाद होगा।

1.1 प्रतिवादी संख्या 1-इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड ("इंडो यूनिक")

कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("के. पी. सी. एल".) को एक खुली निविदा में कोयले के लाभ/धोने के काम के अनुदान के लिए आवेदन किया। के. पी. सी. एल. ने एम/एस. से सम्मानित किया।

एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

कार्य आदेश इंडो यूनिक को पुरस्कार No.A1M1B3/धोया हुआ कोयला/1052 दिनांकित 18.09.2015 के पत्र के माध्यम से।

दिनांक 18.09.2015 के कार्य आदेश के अनुसरण में, प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी ने 500 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी। 29.29 करोड़ पक्ष में के. पी. सी. एल. के अपने बैंकरों, भारतीय स्टेट बैंक ("एस. बी. आई".), उत्तरदाता संख्या 2 के माध्यम से।

1.2 इंडो यूनिक, उत्तरदाता संख्या 1 ने बाद में एक उप-अनुबंध में प्रवेश किया जिसे कार्य आदेश दिनांक 28.09.2015 कहा गया।

अपीलकर्ता कंपनी-मेसर्स। एन. एन. ग्लोबल मर्कंटाइल प्रा. लि. ("ग्लोबल मर्कंटाइल"), गाँव पुनवत, जिला यवतमाल में अपने वाशरी से स्टॉकयार्ड तक कोयले के परिवहन, साइडिंग, कोयले की हैंडलिंग और पंढरपोनी साइडिंग, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र में वैगनों में लोडिंग के लिए।

कार्य आदेश का खंड 9 सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया है।

जमा जो इस प्रकार है:

" 9. प्रतिभूति जमा: आप रुपये की बैंक गारंटी जमा करेंगे। आपके पास पड़े धोए गए कोयले के औसत भंडार के लिए 5 करोड़ रुपये

स्टॉकयार्ड। यह बैंक गारंटी किसी भी बैंक से जारी की जा सकती है।

राष्ट्रीयकृत बैंक/प्रथम श्रेणी का बैंक, शुरू में 18 वर्ष की अवधि के लिए वैध

(अठारह) महीने। "

कार्य आदेश के खंड 10 में एक मध्यस्थता खंड शामिल है, जो इस प्रकार है:

" 10. मध्यस्थता: किसी भी खंड या कार्य या भाषा के नियमों और शर्तों या अर्थ की व्याख्या में मतभेद के कारण किसी भी विवाद के मामले में पारस्परिक सहमति से नियुक्त मध्यस्थ का निर्णय अंतिम माना जाएगा और दोनों के लिए बाध्यकारी होगा।

पार्टियाँ "।

1.3 कार्य आदेश के खंड 9 के अनुसार, ग्लोबल मर्कंटाइल सुसज्जित है

इंडो यूनिक के बैंकर एस. बी. आई. के पक्ष में, 30.09.2015 पर रु. 3,36,00,000/- की बैंक गारंटी।

बैंक गारंटी को समय-समय पर बढ़ाया गया था, और आखिरी बार 10.11.2017 पर बढ़ाया गया था।

1.4 के. पी. सी. एल. के साथ दिनांकित 18.09.2015 के प्रमुख अनुबंध के तहत, इंडो यूनिक के साथ कुछ विवाद और मतभेद उत्पन्न हुए, जिसके कारण के. पी. सी. एल. द्वारा 06.12.2017 पर बैंक गारंटी का आह्वान किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.5 इंडो यूनिक, 07.12.2017 पर, कार्य आदेश के तहत ग्लोबल मर्केंटाइल द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी का आह्वान किया।

यह इस गारंटी का आह्वान है जो वर्तमान की ओर ले गया है

कार्यवाही।

1.6 ग्लोबल मर्केंटाइल ने वाणिज्यिक न्यायालय, नागपुर के समक्ष इंडो यूनिक और उसके बैंकर एस. बी. आई. के साथ-साथ अपीलकर्ता के बैंकर यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिवादी संख्या 3) के खिलाफ 2017 का एक सिविल (वाणिज्यिक) मुकदमा दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा करने का अनुरोध किया गया कि इंडो यूनिक बैंक गारंटी को भुनाने का हकदार नहीं था क्योंकि कार्य आदेश पर कार्रवाई नहीं की गई थी। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इंडो यूनिक ने कार्य आदेश के तहत कोई काम आवंटित नहीं किया था, न ही कोई चालान उठाया गया था, न ही उसके द्वारा भुगतान किया गया था। नतीजतन, कोई नुकसान नहीं हुआ जो बैंक गारंटी के आह्वान को उचित ठहराए। यह आरोप लगाया गया था कि बैंक गारंटी का आह्वान धोखाधड़ी था, क्योंकि यह कार्य आदेश के संदर्भ में नहीं था, जो कार्य के प्रदर्शन से जुड़ी एक सशर्त गारंटी थी।

ग्लोबल मर्केंटाइल ने धारा 8 के तहत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि यह बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि बैंक गारंटी अलग थी और स्वतंत्र अनुबंध, और इसमें कोई मध्यस्थता खंड शामिल नहीं था।

कार्य आदेश दिनांक 28.09.2015, और इसके परिणामस्वरूप यह अभिनिर्धारित किया गया कि वाणिज्यिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मध्यस्थता समझौते द्वारा अपदस्थ नहीं किया गया था। 1.9 इंडो यूनिक ने तब बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की सिविल संशोधन याचिका संख्या 9 दायर की, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी।

वाणिज्यिक न्यायालय।

एम/एस। एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

सिविल संशोधन याचिका की स्थिरता पर आपत्ति उठाए जाने पर, उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से सिविल संशोधन याचिका को वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें याचिका दायर करने की स्वतंत्रता थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत।

1.10 इंडो यूनिक ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 का डब्ल्यू. पी. No.1801 दायर किया ताकि पारित किए गए 18.01.2018 के आदेश को रद्द किया जा सके।

वाणिज्यिक न्यायालय/जिला न्यायाधीश-I, नागपुर द्वारा सिविल (वाणिज्यिक) वाद No.62/2017 में।

उच्च न्यायालय ने दिनांकित 30.09.2020 के विवादित निर्णय के माध्यम से यह माना कि यह स्वीकृत स्थिति थी कि एक मध्यस्थता थी पक्षों के बीच समझौता, और इसलिए धारा 8 के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य था। इस तर्क के संबंध में कि बैंक गारंटी का आह्वान धोखाधड़ी था, यह माना गया कि धोखाधड़ी के आरोप एक आपराधिक अपराध नहीं हैं जिसमें भारी मात्रा में साक्षय दर्ज करने की आवश्यकता होगी। विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जा सकता था, और वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करना उचित नहीं था। धोखाधड़ी या विशेष इक्विटी पर किसी भी निष्कर्ष के अभाव में बैंक गारंटी के आह्वान को रोकने में वाणिज्यिक न्यायालय उचित नहीं था।

मध्यस्थता समझौते के अप्रवर्तनीय होने के मुद्दे पर क्योंकि कार्य आदेश पर मुहर नहीं लगाई गई थी, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वादी/अपीलार्थी, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत या उचित स्तर पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष इस मुद्दे को उठा सकता है।

रिट याचिका को बनाए रखने योग्य माना गया था, क्योंकि एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर भी रिट याचिका पर विचार करने के लिए कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। रिट याचिका को निर्णय और आदेश दिनांक 30.09.2020 के माध्यम से अनुमति दी गई थी, और वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2018 को दरकिनार कर दिया गया था।

अपीलार्थी के वकील के अनुरोध पर, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के संचालन को एक महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया। 30.09.2020 .

9819 2020 से। अपीलार्थी के वकील के अनुरोध पर, रोक का आदेश 20.11.2020 तक जारी रहा।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.12 उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित, वैश्विक

एंटाइल ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

2. जिन मुद्दों पर हम विचार कर रहे हैं, वे हैं: आई. क्या कोई मध्यस्थता समझौता लागू करने योग्य होगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी, भले ही 28.09.2015 दिनांकित कार्य आदेश

मुद्रांक रहित और मुद्रांक अधिनियम के तहत अप्रवर्तनीय?

ii. क्या बैंक के धोखाधड़ी के आह्वान का आरोप है

क्या गारंटी एक मध्यस्थता विवाद है?

iii. क्या संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक रिट याचिका

संविधान किसी आदेश को चुनौती देने योग्य होगा।

मध्यस्थता के संदर्भ के लिए एक आवेदन को अस्वीकार करना मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8?

अब हम इनमें से प्रत्येक मुद्दे से निपटेंगे।

3. अनस्टैम्प्ड में मध्यस्थता समझौते की वैधता

ईमेंट

यह मध्यस्थता न्यायशास्त्र में अच्छी तरह से स्थापित है कि एक

3.1

मध्यस्थता समझौता एक अलग और अलग समझौता है, जो मूल वाणिज्यिक समझौते से स्वतंत्र है।

अनुबंध जिसमें यह अंतर्निहित है। यह इस आधार पर आधारित है कि जब पक्ष मध्यस्थता खंड वाले वाणिज्यिक अनुबंध में प्रवेश करते हैं, तो वे दो अलग-अलग समझौतों में प्रवेश कर रहे होते हैं। ((i) मूल अनुबंध जो वाणिज्यिक लेन-देन से उत्पन्न पक्षों के अधिकार और दायित्व शामिल हैं; और, (ii) मध्यस्थता

समझौता जिसमें पक्षों का बाध्यकारी दायित्व शामिल है कि वे अपने विवादों को इस तरीके से हल करें -

मध्यस्थता।

मध्यस्थता समझौते की स्वायत्तता इस पर आधारित है -

3.2

पृथकता और कोम्पेटेंज़ की जुड़वां अवधारणाएँ -

कॉम्पेटेंज़। पृथकता और कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ के सिद्धांत हालांकि आपस में संबंधित हैं, अलग हैं, और मध्यस्थ की स्वायत्तता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रक्रिया।

मध्यस्थता समझौते की पृथकता का सिद्धांत

3.3

यह दर्शाता है कि अयोग्यता, अप्रभावीता, या समाप्ति I. वैश्विक व्यापारिक पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो: फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

मूल वाणिज्यिक अनुबंध, मध्यस्थता समझौते की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा, सिवाय इसके कि यदि

मध्यस्थता समझौते पर सीधे इस आधार पर महाभियोग चलाया जाता है कि मध्यस्थता समझौता शुरुआत से ही अमान्य है।

मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व, वैधता और दायरे के संबंध में आपत्तियों सहित अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर नियम, पहली बार में, जो कार्यवाही के बाद के चरण में अदालतों द्वारा न्यायिक जांच के अधीन है। मध्यस्थता अधिनियम के तहत, न्यायालय के समक्ष चुनौती केवल अंतिम निर्णय के पारित होने के बाद ही बनाए रखी जा सकती है धारा 16 की उप-धारा (6) द्वारा उपबंधित।

जिस स्तर पर न्यायाधिकरण का अपने अधिकार क्षेत्र के संबंध में आदेश न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है, वह अधिकार क्षेत्र से क्षेत्र क्षेत्र में भिन्न होता है। कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ का सिद्धांत पूर्व-संदर्भ स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने और अनुचित को कम करने के लिए विकसित हुआ है।

मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर उठायी गई चुनौती

न्यायाधिकरण।

हेमन बनाम के निर्णय में पृथकता के सिद्धांत की व्याख्या की गई थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा 'डार्विन्स लिमिटेड' जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अंग्रेजी सामान्य कानून एक मध्यस्थता की मान्यता की दिशा में विकसित हो रहा था

खंड एक अलग अनुबंध के रूप में जो मुख्य अनुबंध की समाप्ति से बच जाता है।

लॉर्ड राइट ने अपनी राय में कहा कि:

" एक मध्यस्थता समझौता अनुबंध की महत्वपूर्ण शर्तों के लिए संपार्श्विक है। यह केवल प्रक्रियात्मक और सहायक है, यह विवादों को निपटाने का एक तरीका है, हालांकि ऐसा करने का समझौता स्वयं के विवेक के अधीन है।

अदालत "।

लॉर्ड मैकमिलन ने अपनी राय में कहा कि: " यह उल्लंघन से उत्पन्न दावों और मध्यस्थता खंड को मापने के उद्देश्य से जीवित रहता है।

उनके बसने के तरीके को निर्धारित करने के लिए जीवित रहता है। अनुबंध के उद्देश्य विफल हो गए हैं, लेकिन मध्यस्थता खंड के उद्देश्यों में से एक नहीं है

अनुबंध "।

इस नियम की पुष्टि कई मामलों में की गई है, जिनमें शामिल हैं -

3.6

ब्रेमर वल्कन शिफबाउ और मास्चिनेफैब्रिक बनाम। दक्षिण भारत नौवहन निगम 2 जिसमें लॉर्ड डिप्लॉक का उल्लेख है

हेमन इस दावे के लिए एक प्राधिकरण के रूप में कि: " मध्यस्थता खंड एक स्व-निहित अनुबंध संपार्श्विक या जहाज निर्माण समझौते के सहायक का गठन करता है।

हार्बर एस्योरेंस बनाम। कंस जनरल

3.7

अंतर्राष्ट्रीय बीमा, अपील न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि मध्यस्थता खंड सीधे महाभियोग नहीं है, एक मध्यस्थता समझौता की अयोग्यता से बचने में सक्षम है

अनुबंध, ताकि मध्यस्थ के पास अनुबंध की प्रारंभिक वैधता निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र हो। यह माना गया था

कि -

" एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि मध्यस्थता खंड एक अलग समझौता है, अनुबंध के लिए सहायक, मध्यस्थता के लिए अनुबंध की अयोग्यता के मुद्दे को संदर्भित करने के लिए तार्किक बाधा गायब हो जाती है। बशर्ते कि स्वयं मध्यस्थता खंड पर प्रत्यक्ष रूप से महाभियोग नहीं चलाया जाता है (उदाहरण के लिए एक गैर-वास्तविक याचिका द्वारा), मध्यस्थता समझौता इस प्रकार है -

जीवित रहने में सक्षम सैद्धांतिक कानूनी सिद्धांत का मामला

अनुबंध की अयोग्यता "।

लेसोथो उच्चभूमि विकास प्राधिकरण बनाम।

3.8

इम्प्रेगिलो एस. पी. ए. और अन्य, 4 हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने हार्बर एस्योरेंस (उपरोक्त) में लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक मध्यस्थता समझौता अंतर्निहित या मूल से एक अलग और अलग करने योग्य समझौता है।

अनुबंध।

" 21. यह मध्यस्थता कानून की वर्णमाला का हिस्सा है जैसा कि हार्बर एस्योरेंस कंपनी वी में समझाया गया है। कंस जनरल

1 एसी 909।

] 1 लॉयड के प्रतिनिधि। 455 (सीए)।

5] यूकेएचएल 43 [2006] 1 ए. सी. 221 पर [21]।

I. वैश्विक व्यापार पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडोः फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

अंतर्राष्ट्रीय बीमा,. एस में लिखा गया है। 7 अधिनियम का, कि मध्यस्थता समझौता एक विशिष्ट और अलग करने योग्य है

अंतर्निहित या प्रमुख अनुबंध से समझौता।

आदर्श कानून के अनुच्छेद 16 (1) में इस सिद्धांत को शामिल किया गया है।

पृथकता काः " अनुच्छेद 16. मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने दम पर फैसला दे सकता है।

अधिकारिता, जिसमें मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में कोई भी आपत्ति शामिल है। इसके लिए उद्देश्य, एक मध्यस्थता खंड जो एक का एक हिस्सा बनाता है

अनुबंध को एक स्वतंत्र समझौते के रूप में माना जाएगा

अनुबंध की अन्य शर्तें। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा यह निर्णय कि अनुबंध अमान्य है, आई. पी. एस. ओ. को लागू नहीं करेगा।

मध्यस्थता खंड की अयोग्यता का न्यायनिर्णयन "।

फ्रांसीसी कोर्ट डी कैसेशन ने गोसेट वी में व्यापक रूप से पृथकता के सिद्धांत को मान्यता दी। कैपरेली, 5

जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

" अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में, मध्यस्थता करने का समझौता,

चाहे अलग से निष्कर्ष निकाला गया हो या उस अनुबंध में शामिल किया गया हो जिससे यह संबंधित है, हमेशा अपवादात्मक रूप में सहेजा जाता है।

परिस्थितियाँ. कानून में पूरी तरह से स्वायत्त जो

संभावित से प्रभावित होने की संभावना को बाहर करता है

मुख्य अनुबंध की अयोग्यता "।

कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ का सिद्धांत इस आधार पर आधारित है कि मध्यस्थता समझौता अलग है और

में मूल अंतर्निहित अनुबंध से स्वतंत्र

जिसे यह एम्बेड किया गया है। समान रूप से, एक मध्यस्थता समझौता यह मौजूद है और इस पर कार्रवाई की जा सकती है, भले ही मुख्य मूल अनुबंध वैध हो या नहीं।

में दिए गए मौलिक निर्णय में अपील न्यायालय

फियोना ट्रस्ट एंड होल्डिंग कॉर्पोरेशन बनाम प्रीवालोव, 6 पकड़े गए

कि अंतर्निहित अनुबंध की अयोग्यता का आरोप, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पहली बार में उक्त मुद्दे का निर्धारण करने से नहीं रोकेगा, भले ही कथित अवैधता अनुबंध को शुरुआत से ही अमान्य कर देगी। में।

ईआरई, 7 मई 1963 (डल्लोज़, 1963), 545।

ए सी. वी. 20.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

इस मामले में, मध्यस्थता समझौता एक चार्टर पार्टी समझौते में निहित था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि इसे मालिक के एजेंट द्वारा रिश्वत के माध्यम से प्राप्त किया गया था, और इसकी शुरुआत से ही अमान्य था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल तभी जब मध्यस्थता समझौते पर सीधे महाभियोग चलाया जाता है, और केवल अंतर्निहित अनुबंध की अयोग्यता के परिणामस्वरूप नहीं, बल्कि स्वयं मध्यस्थता समझौते से संबंधित आधारों पर अमान्य या अप्रवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो अदालतें मध्यस्थता के संदर्भ को अस्वीकार कर सकती हैं। परजीवीय चुनौतियों और विलम्बकारी रणनीतियों को हतोत्साहित करना

मध्यस्थता के संदर्भ का विरोध करते हुए, अपील न्यायालय ने पैराग्राफ 38 में अभिनिर्धारित किया कि:

" 38 ..... जैसा कि हमने समझाने की कोशिश की है, एक बार पृथकता

मध्यस्थता समझौते को स्वीकार किया जाता है, वहाँ नहीं हो सकता है

कोई भी सवाल लेकिन एक वैध समझौता है।

.....

यदि इस बारे में कोई विवाद है कि क्या कोई मध्यस्थता समझौता है

यदि यह बिल्कुल भी अस्तित्व में आया होता, तो न्यायालय के पास इस बारे में विवेकाधिकार होता कि उस मुद्दे को स्वयं निर्धारित किया जाए या नहीं, लेकिन ऐसा मामला नहीं होगा जहां एक समग्र अनुबंध है जिसे किसी कारण से अमान्य कहा जाता है जैसे कि अवैधता, गलत निरूपण या रिश्वतखोरी और मध्यस्थता समझौता केवल अनुबंध का हिस्सा है। ..... "

हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष फियोना ट्रस्ट मामले में दायर अपील में, फिली शिपिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम।

प्रीमियम नाफ्टा प्रोडक्ट्स लिमिटेड और अन्य, लॉर्ड हॉफमैन

राय दी: " यह कहने के बराबर है कि क्योंकि मुख्य समझौता और

मध्यस्थता समझौता एक दूसरे के साथ बंधा हुआ था, मुख्य समझौते की अयोग्यता के परिणामस्वरूप मध्यस्थता समझौते की अयोग्यता होनी चाहिए। जिसे गिरना चाहिए दूसरे के साथ क्योंकि वे कभी नहीं होते

अलग से निष्कर्ष निकाला। लेकिन मेरी राय में धारा 7 का अर्थ है कि उन्हें अलग से माना जाना चाहिए। और मध्यस्थता समझौते को केवल उस आधार पर अमान्य किया जा सकता है जो मध्यस्थता समझौते से संबंधित है।

एल 40।

I. वैश्विक व्यापार पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो: फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

और यह केवल मुख्य समझौते की अयोग्यता का परिणाम नहीं है।

लॉर्ड होप ने अपनी अलग राय में कहा कि:

" मालिकों का तर्क यह नहीं था कि कोई अनुबंध नहीं था, बल्कि यह था कि वे मध्यस्थता समझौते सहित अनुबंध को रद्द करने के हकदार थे क्योंकि अनुबंध रिश्वतखोरी से प्रेरित था। अगर इस तरह के आरोप सही हैं, तो वे मुख्य समझौते की वैधता को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन वे मध्यस्थता समझौते की वैधता को कम नहीं करते हैं

विशिष्ट समझौता। पृथकता के सिद्धांत को दरकिनार करने से पहले मध्यस्थता समझौते के प्रत्यक्ष महाभियोग की आवश्यकता होती है। यह एक सटीक परीक्षण है। तर्क

यह उन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए जो मध्यस्थता समझौते के लिए विशिष्ट हैं। जो आरोप मुख्य समझौते की वैधता को चुनौती देने के लिए परजीवी हैं, वे काम नहीं करेंगे। कि इस मामले में स्थिति होने के कारण, मध्यस्थता के लिए जाने का समझौता

प्रभाव दिया जाना चाहिए। " यू. के. में आज जो कानून है वह यह है कि यदि न्यायालय पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की याचिका पर विचार करते हुए मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व से संतुष्ट है, तो यह

पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना अनिवार्य है, भले ही मूल अनुबंध की वैधता पर आपत्तियां उठाई गई हों। जहां मध्यस्थता समझौता एक अंतर्निहित अनुबंध में अंतर्निहित है, अदालत तब तक अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर विवाद पर विचार नहीं करेगी जब तक कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण फैसला नहीं दे देता।

इस मुद्दे पर। लॉर्ड हॉफमैन ने कहा कि: " लेकिन यह मेरी राय में ठीक उसी तरह का तर्क है जिसे रोकने का इरादा धारा 7 का था। यह कहने के बराबर है कि

क्योंकि मुख्य समझौता और मध्यस्थता समझौता

एक-दूसरे के साथ बंधे हुए थे, मुख्य समझौते की अयोग्यता के परिणामस्वरूप मध्यस्थता समझौते की अयोग्यता होनी चाहिए। एक को दूसरे के साथ गिरना चाहिए क्योंकि वे कभी भी अलग से निष्कर्ष नहीं निकाला गया होगा और

मध्यस्थता समझौते को केवल उस आधार पर अमान्य किया जा सकता है जो मध्यस्थता समझौते से संबंधित है और केवल मुख्य समझौते की अयोग्यता का परिणाम नहीं है।" 8

पैराग्राफ 19 पर 960 पर एल. ई. आर. 951।

14

इस मुद्दे पर कि क्या धोखाधड़ी का दावा

पूरे अनुबंध के प्रलोभन का निर्णय अदालत द्वारा किया जाना है, या मध्यस्थ पर यू. एस. सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राइमा पेंट कॉर्पोरेशन बनाम में विचार किया गया था। फ्लड एंड कोंक्लिन

एम. एफ. जी. को. , 9.

न्यायालय ने कहा कि: " यदि दावा स्वयं मध्यस्थता खंड के प्रलोभन में धोखाधड़ी है, तो एक मुद्दा जो मध्यस्थता के लिए समझौते के 'निर्माण' में जाता है, संघीय अदालत इसे निर्णय देने के लिए आगे बढ़ सकती है। लेकिन वैधानिक भाषा इसकी अनुमति नहीं देती है।

धोखाधड़ी के दावों पर विचार करने के लिए संघीय अदालत

आम तौर पर अनुबंध का प्रलोभन।

इस तरह के समापन में, हम न केवल क़ानून के स्पष्ट अर्थ का सम्मान करते हैं, बल्कि कांग्रेस के स्पष्ट रूप से स्पष्ट उद्देश्य का भी सम्मान करते हैं कि मध्यस्थता प्रक्रिया, जब द्वारा चुना जाता है

किसी अनुबंध के पक्षकार शीघ्र हों और न्यायालयों में विलम्ब और बाधा के अधीन न हों।

15

बकये चेक में संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय

कैशिंग, इंक बनाम। कार्डेग्ना एट। अल, 10 ने प्राइमा पेंट और साउथलैंड कॉर्प में पहले के फैसलों का पालन किया। वी.

कीटिंग। 1 1 स्कैलिया, जे. ने राय दी:

" प्राइमा पेंट और साउथलैंड इस सवाल का जवाब देते हैं।

तीन प्रस्तावों को स्थापित करके यहाँ प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले, मूल संघीय मध्यस्थता कानून के मामले के रूप में, एक मध्यस्थता प्रावधान अनुबंध के शेष भाग से अलग किया जा सकता है। दूसरा, जब तक कि चुनौती स्वयं मध्यस्थता खंड के लिए नहीं है, अनुबंध की वैधता के मुद्दे पर विचार किया जाता है

पहली बार में मध्यस्थ। तीसरा, यह मध्यस्थता कानून राज्य के साथ-साथ संघीय अदालतों में भी लागू होता है। पक्षों ने उन स्वामित्वों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध नहीं किया है और न ही हम ऐसा करते हैं। इस मामले में उन्हें लागू करते हुए, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्योंकि उत्तरदाता समझौते को चुनौती देते हैं, लेकिन विशेष रूप से इसके मध्यस्थता प्रावधानों को नहीं, वे प्रावधान अनुबंध के शेष भाग के अलावा लागू करने योग्य हैं। द.

95 (1967) .

40 (2006) .

2 डी: 465 यूएस 1 (1984)।

I. वैश्विक व्यापार पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडोः फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

इसलिए चुनौती पर एक मध्यस्थ द्वारा विचार किया जाना चाहिए, न कि अदालत द्वारा।

किराए में-ए-सेंटर, वेस्ट, इंक. बनाम। जैकन, 12 1 2 यू. एस.

सुप्रीम कोर्ट ने कहाः

" धारा 2 के तहत दो प्रकार की वैधता चुनौतीएँ हैंः एक प्रकार विशेष रूप से मध्यस्थता के लिए समझौते की वैधता को चुनौती देता है ", और" [टी] वह अन्य समग्र रूप से अनुबंध को चुनौती देता है, या तो इस आधार पर कि जो सीधे पूरे समझौते को प्रभावित करता है (जैसे, समझौता धोखाधड़ी से प्रेरित किया गया था), या इस आधार पर कि अनुबंध के प्रावधानों में से एक की अवैधता पूरे अनुबंध को अमान्य बना देती है। बकये, 546 यू. एस., 444 पर। मामलों की एक पंक्ति में किसी भी पक्ष ने हमें रद्द करने के लिए नहीं कहा है, हमने माना कि केवल पहले प्रकार की चुनौती अदालत के निर्धारण के लिए प्रासंगिक है कि क्या मध्यस्थता

मुद्दे पर समझौता लागू करने योग्य है। प्राइमा पेंट देखें निगम। वी. फ्लड एंड कोंक्लिन एम. एफ. जी. कं., 388 यू. एस. 395,403

404 (1967) ; बकये, ऊपर, 444-446 पर; प्रेस्टन बनाम। फेरर, 552 यू. एस. 346,353-354 (2008)। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 2 में कहा गया है

कि मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए एक "लिखित प्रावधान"

विवाद "उस अनुबंध की वैधता का उल्लेख किए बिना" वैध, अपरिवर्तनीय और प्रवर्तनीय "है जिसमें यह निहित है। इस प्रकार, अनुबंध के किसी अन्य प्रावधान, या समग्र रूप से अनुबंध के लिए एक पक्ष की चुनौती, अदालत को मध्यस्थता के लिए एक विशिष्ट समझौते को लागू करने से नहीं रोकती है। [ए] ठोस संघीय मध्यस्थता कानून का मामला है, एक मध्यस्थता प्रावधान अनुबंध के शेष भाग से अलग किया जा सकता है। बकये, 546 यू. एस., 445 पर; आईडी भी देखें। , 447 पर (पृथकता नियम है

§2) के आधार पर।

.....

न्यायालय का कहना है कि इसकी हिस्सेदारी तार्किक रूप से प्राइमा पेंट कार्पोरेशन से आती है। वी. फ्लड एंड कोंक्लिन एम. एफ. जी. कं., 388 यू. एस. 395 (1967), जिसमें न्यायालय ने एक

अनुबंध प्रतिसंहरण रक्षा आम तौर पर एक मामला है

मध्यस्थ, जब तक कि बचाव पक्ष विशेष रूप से मध्यस्थता खंड, आईडी पर निर्देशित न हो।, 404 पर। हमने इस स्वामित्व को एक पृथक्करण नियम के रूप में माना है: जब कोई पक्ष किसी अनुबंध को चुनौती देता है,

2010) .

" लेकिन विशेष रूप से इसके मध्यस्थता प्रावधानों के अलावा, वे प्रावधान शेष के अलावा लागू करने योग्य हैं

मामलों की दूसरी पंक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वैधता कौन तय करता है एक मध्यस्थता समझौते का, जैसा कि न्यायालय बताता है, शामिल है

प्राइमा पेंट नियम। पहले देखें, 71 पर। यह नियम मान्यता देता है

उत्पन्न होने वाले आधार पर स्वयं मध्यस्थता समझौते की वैधता उस समझौते में एक कमजोरी से। अन्य कठिनाइयाँ

प्रत्यक्ष रूप से मध्यस्थता समझौते की वैधता-एक के माध्यम से

444 पर बकये, 546 यू. एस. देखें। प्राइमा पेंट के तहत, ए पहले प्रकार की चुनौती अदालत में जाती है; एक चुनौती

दूसरा प्रकार मध्यस्थ के पास जाता है। 388 यू. एस. पर देखें

403-404 ; बकये, 546 यू. एस., 444-445 पर भी देखें।

प्राइमा पेंट नियम एक अभिवचन मानक के समान है, जिसके तहत

अपने विवाद को प्राप्त करने के लिए समझौते को स्पष्ट रूप से ऐसा कहना चाहिए अदालत में "।

भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 आधारित है -

एल कानून। धारा 16 लिटी और कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ के सिद्धांत को वैधानिक मान्यता देती है। धारा 16 में कहा गया है:

" 16. इस पर निर्णय देने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण की क्षमता

अधिकार क्षेत्र:

(1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय ले सकता है, जिसमें शामिल हैं -

अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय

मध्यस्थता समझौते का, और उस उद्देश्य के लिए,

(ए) एक मध्यस्थता खंड जो एक अनुबंध का हिस्सा है

और शून्य में माध्यस्थम की अयोग्यता निहित नहीं होगी

खंड "। I. वैश्विक व्यापार पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडोः फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

न्यूनतम हस्तक्षेप की विधायी नीति निहित है।

मध्यस्थता के भाग I में निर्दिष्ट के अलावा हस्तक्षेप एक्ट करें। धारा 5 और 16 का एक संयुक्त पठन इंगित करेगा

कि सभी नागरिक वाणिज्यिक मामले, जिसमें मुद्दा भी शामिल है क्या मूल अनुबंध अमान्य था

मध्यस्थता के माध्यम से हल किया गया।

उत्तराखंड में यह न्यायालय पूर्व सैनिक कल्याण निगम

लिमिटेड वी. उत्तरी कोयला क्षेत्र Ltd.[1]3, एक के माध्यम से बोल रहा है

हम में से (इंदु मल्होत्रा, जे.) ने इसके अनुप्रयोग पर चर्चा की

और देखाः " 7.7 . कानून की सिफारिशों के आधार पर

आयोग, धारा 11 द्वारा काफी संशोधन किया गया था

2015 संशोधन अधिनियम, सभी पिछले प्रभावों को दूर करने के लिए

शक्ति के दायरे पर एक गैर-अवरोही द्वारा दिए गए निर्णय

खंड, और कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ सिद्धांत को सुदृढ़ करने के लिए 1996 के अधिनियम की धारा 16 में निहित। 2015 में

संशोधन अधिनियम ने धारा 11 में उप-धारा (6-ए) जोड़ी

जो प्रदान करता है किः

" (6 - (क) उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो,

उच्च न्यायालय, उप के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते हुए

के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद कोई भी अदालत, अस्तित्व की जांच तक सीमित

एक मध्यस्थता समझौते का "।

(जोर दिया गया)

7.8 . में निगमित गैर-बाध्यकारी खंड के आधार पर धारा 11 (6-ए), पटेल एंग में दिए गए पिछले निर्णय।

और कुछ नहीं। 7.9 . डुरो फेलगुएरा के मामले में निर्णय पर भरोसा रखा गया है एस. ए. वी. गंगावरम पोर्ट लिमिटेड [डचूरो फेलगुएरा एस. ए. बनाम।

सी 455।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एस. सी. सी. 729: (2017) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 764 टी. आर. एफ. लिमिटेड का संदर्भ लें। एनर्गो इंग। प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, (2017) 8 एस. सी. सी. 377: (2017) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 72], जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः (एस. सी. सी पी. 759, पैरा 48)

" 48. ..... धारा 11 (6-ए) के पढ़ने से, इरादा

विधायिका की स्थिति स्पष्ट है अर्थात न्यायालय को

और केवल एक पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है मध्यस्थता समझौता। निर्णय लेने के कारक क्या हैं?

विवादों से संबंधित मध्यस्थता का प्रावधान करता है जो समझौते के पक्षों के बीच उत्पन्न हुए हैं।

(जोर दिया गया)

या सीमा मुद्दों को धारा 16 के तहत मध्यस्थ द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो कॉम्पेटेंज़ को स्थापित करता है। कोम्पेटेंज़ सिद्धांत।

7.11 . "कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़" के सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है।

"अनुपालन-अनुपालन", या "मान्यता प्राप्त अनुपालन" के रूप में, इसका तात्पर्य है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण सशक्त है और अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर शासन करने की क्षमता रखता है, जिसमें सभी अधिकार क्षेत्र के मुद्दों का निर्धारण, और मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व या वैधता शामिल है। इस सिद्धांत का उद्देश्य न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना है, ताकि मध्यस्थता प्रक्रिया को सीमा पर विफल नहीं किया जा सके, जब एक पक्ष द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई जाती है। हालांकि, कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ का सिद्धांत अपवाद के अधीन है, यानी जब मध्यस्थता समझौते पर ही धोखाधड़ी या धोखे से प्राप्त होने के रूप में महाभियोग चलाया जाता है। यह

अपवाद उन मामलों में भी लागू होगा जहां बातचीत की प्रक्रिया में पक्षकारों ने एक मसौदा तैयार किया होगा।

अंतिम अनुबंध को निष्पादित करने से पहले एक पूर्ववर्ती कदम के रूप में समझौता। मसौदा समझौता केवल मध्यस्थता का प्रस्ताव होगा, न कि आई. ग्लोबल मर्केन्टाइल पी. वी. टी. की शर्तों की स्पष्ट स्वीकृति।

लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो: फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

पोर्ट ट्रस्ट, (2018) 10 एससीसी 525: (2019) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 1] यदि कोई मध्यस्थता समझौता वैध या अस्तित्वहीन है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण नहीं कर सकता है।

विवादों पर। एक मध्यस्थ की नियुक्ति हो सकती है

यदि मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में नहीं है, या विवाद मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर हैं, तो इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V (1) (a) में कहा गया है कि किसी पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है। यदि मध्यस्थता समझौता "उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके अधीन पक्षों ने इसे किया है या किसी भी संकेत में विफल रहा है

उस पर, उस देश के कानून के तहत जहां पुरस्कार

बनाया गया था "।

7.13 . धारा 16 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, और

न्यायिक हस्तक्षेप को पूर्व में प्रतिबंधित करने के लिए विधायी नीति

संदर्भ चरण में, सीमा के मुद्दे पर मध्यस्थ द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। धारा 16 की उप-धारा (1)

यह प्रावधान है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने दम पर फैसला कर सकता है

अधिकारिता, मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में "किसी भी आपत्ति सहित"। धारा 16 एक समावेशी प्रावधान के रूप में है, जो सभी को समझेगी।

के अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रारंभिक मुद्दे

मध्यस्थ न्यायाधिकरण। सीमा का मुद्दा एक अधिकार क्षेत्र है मुद्दा, जिसे तय करने की आवश्यकता होगी

अधिनियम की धारा 11 के तहत पूर्व-संदर्भ चरण में धारा 16 के तहत मध्यस्थ, न कि उच्च न्यायालय। एक बार जब मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व विवादित नहीं हो जाता है, तो अधिकार क्षेत्र की आपत्तियों सहित सभी मुद्दों पर निर्णय लिया जाना चाहिए। मध्यस्थ द्वारा "।

एन. ए. अय्यासामी बनाम परमशिवम और अन्य। , 1 4 डॉ. डी. वाई. आई. डी., जे. ने अपनी अलग राय में कहा कि:

सीसी 386।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 53. मेरे विचार में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की व्याख्या की जानी चाहिए ताकि इसकी व्याख्या में अंतर्निहित सिद्धांतों को इस तरह से लाया जा सके जो सामान्य कानून की दुनिया में प्रचलित दृष्टिकोणों के अनुरूप हो। भारत में न्यायशास्त्र को संस्थागत प्रभावकारिता को मजबूत करने की दिशा में विकसित होना चाहिए। मध्यस्थता। दलों द्वारा अपने सभी दावों को हल करने के लिए एक पूर्ण उपाय के रूप में चुने गए मंच का बचाव करना उस विकास का हिस्सा है।

अदालतों के हस्तक्षेप को कम करना फिर से उसी सिद्धांत की मान्यता है।

5. अब हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर कानून लागू करेंगे।

अपीलार्थी-ग्लोबल मर्कैंटाइल ने प्रस्तुत किया कि

5.1 मध्यस्थता के लिए विवादों के संदर्भ के लिए धारा 8 के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था, क्योंकि महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 34 के अनुसार कार्य आदेश एक अप्रकाशित दस्तावेज होने के कारण किसी भी उद्देश्य के लिए साक्षय में प्राप्त नहीं किया जा सकता था, या उस पर कार्रवाई की जा सकती थी:

जब तक कि उस पर विधिवत मुहर न लगे। नतीजतन, बिना मोहर वाले समझौते में मध्यस्थता खंड पर भी कार्रवाई या प्रवर्तन नहीं किया जा सकता था क्योंकि मध्यस्थता खंड का कानून में कोई अस्तित्व नहीं होगा, जब तक कि कार्य आदेश पर लागू मुद्रांक शुल्क (और जुर्माना, यदि कोई हो) का भुगतान नहीं किया जाता है। रिलायंस को गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम में फैसले के पैराग्राफ 22 पर रखा गया था। तटीय समुद्री निर्माण

और इंजीनियरिंग लिमिटेड, 1 5 जिसमें यह आयोजित किया गया है: .....कि

एक समझौते में एक मध्यस्थता खंड मौजूद नहीं होगा जब यह कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय ने धारा 8 के तहत आवेदन को अनुमति देते हुए एक गैर-अस्तित्व मध्यस्थता खंड को लागू किया था, जो महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 34 और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन था।

यह आगे तर्क दिया गया कि आज तक 03.01.2018 के बाद से, प्रतिवादी संख्या 1 ने भुगतान करने की अपनी इच्छा का संकेत नहीं दिया था

स्टाम्प शुल्क, भले ही अपीलार्थी ने यह आपत्ति उठाई थी।

नैना ठक्कर बनाम में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी संख्या 1 को स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने और खंड को लागू करने का कोई और अवसर देने का कोई उचित कारण नहीं था।

अन्नपूर्णा बिल्डर्स। 16

(9) 9 एससीसी 209। 3) 14 एससीसी 354।

एस। एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो निक्यू फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

5.2 इंडो यूनिक-प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रस्तुत किया कि भले ही कार्य आदेश दिनांकित 28.09.2015 एक अनस्टैम्प्ड है

समझौता, यह विधिवत मुहर लगने के बाद लागू किया जा सकता है, जिसके लिए पक्षों को कम स्टाम्प शुल्क और जुर्माने की भरपाई करने का अवसर दिया जाना चाहिए जैसा कि कलेक्टर द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। स्टाम्प शुल्क का भुगतान न करने से समझौता अप्रवर्तनीय नहीं होगा, लेकिन यह एक ठीक करने योग्य दोष था।

5.3 महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 के तहत वैधानिक योजना।

(क) महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 3 शुल्क है, जो उन उपकरणों को निर्दिष्ट करती है जिन पर मुद्रांकन के लिए शुल्क लिया जाता है।

अधिनियम की अनुसूची I में निर्दिष्ट राशि।

धारा 3 में कहा गया है:

" 3. शुल्क के साथ प्रभार्य उपकरण।

इस अधिनियम के प्रावधानों और अनुसूची I में निहित छूटों के अधीन, निम्नलिखित साधन अनुसूची I में इंगित राशि के शुल्क के साथ क्रमशः उचित शुल्क के रूप में प्रभार्य होंगे, अर्थात - (क) अनुसूची I में उल्लिखित प्रत्येक लिखत, जिसे पहले किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके बाद राज्य में निष्पादित किया जाता है;

(ख) धारा 30 में निम्नलिखित प्रावधान हैं: " 30.- कर्तव्य जिनका भुगतान किया जाना है।

इसके विपरीत समझौते के अभाव में,

उचित डाक टिकट प्रदान करना होगा, -

(क) निम्नलिखित में से किसी में वर्णित किसी भी उपकरण के मामले में

अनुसूची I के अनुच्छेद, अर्थात्:

(च) अनुसूची I के अनुच्छेद 63 में दिए गए कार्य अनुबंध के उपकरणों के मामले में, अनुबंध प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा; (ग) धारा 32 ए में प्रावधान है:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 32ए. परिवहन के साधन, आदि को कम महत्व दिया जाता है कि उनसे कैसे निपटा जाए। (1) अचल संपत्ति को बेचने के लिए परिवहन, विनिमय, उपहार, बिक्री प्रमाण पत्र, विभाजन विलेख या पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रत्येक साधन जब विचार, निपटान विलेख या असाइनमेंट के माध्यम से पट्टे के हस्तांतरण के लिए दिया जाता है।

और अनुसूची I में उल्लिखित कोई अन्य लिखत, जो संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर शुल्क के साथ प्रभार्य है, के प्रावधानों के तहत पंजीकरण के लिए प्रस्तुत की गई है। पंजीकरण अधिनियम, 1908 की एक वास्तविक प्रति उसके साथ होगी।

बशर्ते कि 4 जुलाई 1980 को या उसके बाद निष्पादित किए गए ऐसे उपकरणों के मामले में, बॉम्बे स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ की तारीख तक, पंजीकरण रिकॉर्ड से लिए जाने वाले उपकरण का एक उद्धरण होगा।

के साथ सही प्रतिलिपि मानी जाएगी

उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज। ..... "

धारा 33 में कहा गया है:

((घ)

अध्याय IV

उपकरणों पर उचित रूप से मुहर नहीं लगी है

33. उपकरणों की जाँच और ज़ब्त करना। (1) धारा 32ए के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति जिसे कानून द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्षय प्राप्त करने का अधिकार है, और एक अधिकारी को छोड़कर सार्वजनिक पद का प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति।

पुलिस, या कोई अन्य अधिकारी, जो उस समय लागू किसी भी कानून के तहत अपराधों की जांच करने के लिए कानून द्वारा सशक्त है,

जिसे कोई प्रभार्य उपकरण, उसकी राय में, शुल्क के साथ, उत्पादित किया जाता है या उसके कार्यों के निष्पादन में आता है, यदि उसे यह प्रतीत होता है कि ऐसे उपकरण पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा, चाहे वह उपकरण हो या नहीं।

कानून में वैध नहीं है।

(2) उस उद्देश्य के लिए ऐसा प्रत्येक व्यक्ति यह पता लगाने के लिए कि क्या उस पर एन. एन. ग्लोबल मर्कैंटाइल पी. वी. टी. के समय के लिए कानून द्वारा आवश्यक मूल्य और विवरण की मुहर लगी है, इस तरह से प्रभार्य और इस तरह से प्रस्तुत या उसके सामने आने वाले प्रत्येक उपकरण की जांच करेगा।

लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो यूई फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

राज्य में लागू होना जब इस तरह के उपकरण को निष्पादित किया गया था

या पहले निष्पादित किया गयाः

ऐसा माना कि

(क) इसमें निहित किसी भी बात के लिए यह नहीं समझा जाएगा कि दंड न्यायालय के किसी मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश से संहिता के अध्याय IX या अध्याय X के भाग D के तहत किसी कार्यवाही के अलावा किसी अन्य कार्यवाही के दौरान उसके सामने आने वाले किसी भी दस्तावेज की जांच या जब्त करने की आवश्यकता है, यदि वह ऐसा करना उचित नहीं समझता है।

दंड प्रक्रिया, 1973;

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में, इस धारा के तहत किसी भी लिखत की जांच करने और उसे जब्त करने का कर्तव्य हो सकता है: न्यायालय द्वारा इस संबंध में नियुक्त किए गए अधिकारी को प्रत्यायोजित किया गया।"

धारा 33 प्रत्येक व्यक्ति पर एक वैधानिक दायित्व डालती है।

कानून द्वारा सशक्त, या एक सार्वजनिक पद धारण करने वाला, या एक व्यक्ति जिसे पक्षों की सहमति से (जिसमें एक मध्यस्थ शामिल होगा) साक्षय प्राप्त करने, उसके सामने प्रस्तुत किए गए लिखत की जांच करने और यह पता लगाने के लिए सशक्त किया गया है कि क्या लिखत है

विधिवत मुद्रांकित। इसमें न्यायालय को साक्षय में एक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सशक्त प्राधिकरण होना शामिल होगा। वैधानिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए, एक की स्वीकार्यता के खिलाफ प्रतिबंध

अनस्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, प्रकृति में निरपेक्ष है, जिसमें एक

संपार्श्विक उद्देश्य। 1 7

अधिनियम की अनुसूची के अनुसार। 18 यदि यह पाया जाता है कि उपकरण पर मुहर नहीं लगी है, या अपर्याप्त रूप से मुहर लगी है, तो यह है कानून द्वारा उपकरण को जब्त करने और उससे निपटने के लिए अनिवार्य

स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार।

(ई) धारा 34 किसी भी प्रकार की राशि को प्राप्त करने से एक वैधानिक अवरोध के रूप में कार्य करती है।

साक्षय में साधन, या किसी भी उद्देश्य के लिए उस पर भरोसा करना

ऐसे किसी व्यक्ति या लोक अधिकारी द्वारा जो कुछ भी, या उस पर कार्रवाई की जा रही है, या पंजीकृत किया जा रहा है, या प्रमाणित किया जा रहा है, जब तक कि साधन

विधिवत मुद्रांकित।

कुमार चौहान बनाम। विजय कृष्ण मिश्रा (2009) 2 एस. सी. सी. 532। अर्ल होटल्स (पी) लिमिटेड बनाम प्लैनेट एम. रिटेल लिमिटेड, (2017) 4 एससीसी 498।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 34 में प्रावधान है:

बशर्ते कि - (क) ऐसा कोई भी लिखत, सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन, भुगतान पर साक्षय में स्वीकार किया जाएगा -

((i) वह शुल्क जिसके साथ वह प्रभार्य है, या अपर्याप्त रूप से मुहर लगाए गए किसी उपकरण के मामले में, ऐसे शुल्क की पूर्ति के लिए आवश्यक राशि, और ((ii) प्रत्येक महीने या उसके हिस्से के लिए स्टाम्प शुल्क के कम हिस्से के 2 प्रतिशत की दर से जुर्माना,

इस तरह के उपकरण का निष्पादन:

बशर्ते कि किसी भी मामले में जुर्माने की राशि स्टाम्प शुल्क के कम हिस्से से दोगुनी से अधिक नहीं होगी।

(ख) जहां किसी भी प्रकार का अनुबंध या समझौता दो या दो से अधिक पत्रों वाले पत्राचार द्वारा किया जाता है और किसी भी पत्र पर उचित मुहर होती है, तो अनुबंध या समझौते पर विधिवत मुहर लगी हुई मानी जाएगी।

(ग) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय IX या अध्याय X के भाग D के तहत कार्यवाही के अलावा, इसमें निहित कुछ भी आपराधिक न्यायालय में किसी भी कार्यवाही में साक्षय के रूप में किसी भी दस्तावेज के प्रवेश को नहीं रोकेगा।

(घ) इसमें निहित कुछ भी किसी भी अदालत में किसी भी दस्तावेज के प्रवेश को नहीं रोकेगा जब ऐसा दस्तावेज सरकार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया गया है या जहां यह धारा 32 या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान द्वारा प्रदान किए गए कलेक्टर का प्रमाण पत्र रखता है।

(ङ) यदि खंड (क) में निर्दिष्ट स्टाम्प शुल्क या स्टाम्प शुल्क और जुर्माने के कम हिस्से का भुगतान किया जाता है, तो इसमें निहित कुछ भी किसी भी दस्तावेज की प्रति के प्रवेश या किसी भी दस्तावेज की सामग्री के मौखिक प्रवेश को नहीं रोकेगा।

(च) धारा 35 में प्रावधान है कि:

" 35. उपकरण का प्रवेश जहां पूछताछ नहीं की जानी चाहिए। जहां किसी लिखत को साक्षय के रूप में स्वीकार किया गया है, वहां धारा 58 में दिए गए प्रावधान के अलावा, उसी वाद या कार्यवाही के किसी भी चरण में ऐसे प्रवेश पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

यह आधार है कि उपकरण पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है।

(छ) धारा 36 में प्रावधान है कि:

राज्य सरकार यह प्रावधान करते हुए नियम बना सकती है कि, जहां किसी साधन पर पर्याप्त राशि की लेकिन अनुचित विवरण की मुहर लगी हो, वह उस शुल्क के भुगतान पर कर सकती है जिसके साथ - यह प्रभार्य है, विधिवत मुद्रांकित होने के लिए प्रमाणित किया जाए, और इस प्रकार प्रमाणित किसी भी उपकरण को तब विधिवत माना जाएगा

इसके निष्पादन की तारीख से मुहर लगी "।

(ज) धारा 37 में प्रावधान है कि:

" 37. उपकरणों को जब्त कर लिया गया कि कैसे निपटा जाता है।

(1) जब धारा के तहत किसी उपकरण को जब्त करने वाला व्यक्ति

33 यदि कानून या पक्षों की सहमति से साक्षय प्राप्त करने का अधिकार है और धारा 34 द्वारा प्रदान किए गए दंड या धारा 36 द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्य के भुगतान पर साक्षय में ऐसे दस्तावेज को स्वीकार करता है, तो वह कलेक्टर को भेजेगा।

ऐसे लिखत की एक प्रमाणित प्रति, लिखित प्रमाण पत्र के साथ, जिसमें उसके संबंध में लगाए गए शुल्क और जुर्माने की राशि का उल्लेख हो, और ऐसी राशि कलेक्टर या ऐसे व्यक्ति को भेजेगी जिसे वह इस संबंध में नियुक्त करे।

(2) प्रत्येक अन्य मामले में, मूल उपकरण को जब्त करने वाला व्यक्ति ऐसे उपकरण की एक प्रामाणिक प्रति तैयार करेगा और जहां यह एक वास्तविक प्रति या एक सार है।

धारा 31 में निर्दिष्ट या धारा 33क में निर्दिष्ट वास्तविक प्रति, वह [2021] 4 एस. सी. आर. के लिए कलेक्टर को ऐसी प्रामाणिक प्रति या, वास्तविक प्रति या, जैसा भी मामला हो, एक सार भेजेगा।

प्रामाणिक प्रति या एक वास्तविक प्रति या, जैसा भी मामला हो, एक सार पर कार्रवाई करने का उद्देश्य, जैसे कि यह मूल साधन था और उस पर धारा 39 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत या धारा 41 की उप-धारा (1) के तहत, जैसा भी मामला हो, दस्तावेज के संदर्भ में एक प्रमाण पत्र का समर्थन करना। प्रामाणिक प्रति की प्राप्ति पर, वास्तविक प्रति या, जैसा भी मामला हो, उपरोक्त प्रमाण पत्र के साथ एक सार, जिस पर उसका समर्थन किया गया है, वह व्यक्ति जो

जब्त किए गए मूल दस्तावेज को मूल दस्तावेज पर प्रामाणिक प्रति पर समर्थित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि बनानी होगी और ऐसे प्रमाण पत्र को प्रमाणित करना होगा; और जहां यह एक वास्तविक प्रतिलिपि या एक सार है जिस पर प्रमाण पत्र के रूप में

उपरोक्त का समर्थन किया जाता है, पंजीकरण अधिकारी जिसके पास है अग्रेषित की गई वास्तविक प्रति या एक सार होगा

उस लिखत के संबंध में उपयुक्त प्रविष्टियाँ, जिसकी यह एक वास्तविक प्रति या एक सार थी, संबंधित रजिस्टर में

उसके द्वारा और उसके हस्ताक्षर के तहत इस संबंध में जारी किए गए आवेदन पर इस आशय का प्रमाण पत्र कि उचित शुल्क या, जैसा भी मामला हो, उचित शुल्क और जुर्माना (प्रत्येक की राशि बताते हुए) उस लिखत और नाम और निवास के संबंध में लगाया गया है।

इस तरह के कर्तव्य और दंड का भुगतान करने वाले व्यक्ति का।

एक बार जब अनुसूची I के तहत देय शुल्क (और जुर्माना, यदि कोई हो) का भुगतान इंस्ट्रूमेंट पर किया जाता है, और इंस्ट्रूमेंट का विधिवत समर्थन किया जाता है

कलेक्टर, दस्तावेज साक्षय में स्वीकार्य होगा, और महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 41 द्वारा प्रदान किए गए अनुसार कार्य करेगा।

(i) धारा 41 में प्रावधान है:

" 41. उन उपकरणों का समर्थन जिन पर शुल्क लगाया गया है

धारा 34,39 या 40 के तहत भुगतान -

(1) जब किसी लिखत (जिसमें कोई लिखत निर्दिष्ट नहीं है) के संबंध में देय शुल्क और जुर्माना (यदि कोई हो)

धारा 32 ए की उप-धारा (1) का भुगतान धारा 34, धारा 39 या धारा 40 के तहत किया गया है।

साक्षय में ऐसा दस्तावेज या कलेक्टर, जैसा भी मामला हो, उस पर समर्थन करके प्रमाणित करेगा कि -

उचित कर्तव्य या, जैसा भी मामला हो, उचित कर्तव्य और एन. एन. वैश्विक व्यापार पी. वी. टी.।

जुर्माना (प्रत्येक की राशि बताते हुए) उसके संबंध में लगाया गया है, और व्यक्ति का नाम और निवास उन्हें भुगतान करें।

(2) धारा 53क के प्रावधानों के अधीन, इस प्रकार समर्थित प्रत्येक लिखत साक्षय में स्वीकार्य होगी, और इसे पंजीकृत किया जा सकता है और उस पर कार्रवाई की जा सकती है और प्रमाणित किया जा सकता है।

मानो उस पर विधिवत मुहर लगा दी गई हो और इस संबंध में आवेदन पर उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को या उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से यह जब्त करने वाले अधिकारी के हाथों में आया हो, या किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा।

ऐसे व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार:

बशर्ते कि - (क) ऐसा कोई दस्तावेज नहीं जिसे धारा 34 के तहत शुल्क और जुर्माने के भुगतान पर साक्षय में स्वीकार किया गया हो।

इस तरह से इस तरह की जब्ती की तारीख से एक महीने की समाप्ति से पहले वितरित किया जाएगा, या यदि कलेक्टर ने प्रमाणित किया है कि इसे और हिरासत में रखना आवश्यक है और इस तरह के प्रमाण पत्र को रद्द नहीं किया है;

(ख) इस धारा की कोई भी बात सिविल संहिता की अनुसूची I में आदेश XIII के नियम 9 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।

प्रक्रिया, 1908 "।

धारा 58 में प्रावधान है कि:

" 58. डाक टिकटों की पर्याप्तता के संबंध में न्यायालयों के कुछ निर्णयों का संशोधन। (1) जब कोई न्यायालय अपनी सिविल या राजस्व अधिकारिता का प्रयोग करते हुए या कोई आपराधिक न्यायालय आपराधिक संहिता के अध्याय IX या अध्याय X के भाग D के तहत किसी कार्यवाही में

जिन अपीलों से ऐसी अपील की जाती है, या जिनके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, ऐसे प्रथम उल्लिखित न्यायालय, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या कलेक्टर के आवेदन पर, ऐसे आदेश को विचार में ले सकता है। (2) यदि इस तरह के विचार के बाद ऐसे न्यायालय की राय है कि इस तरह के दस्तावेज को धारा 34, या [2021] 4 एस. सी. आर. के तहत शुल्क और दंड के भुगतान के बिना साक्षय में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट भुगतान किए गए शुल्क और जुर्माने की तुलना में अधिक शुल्क और जुर्माने के भुगतान के बिना, यह उस प्रभाव के लिए एक घोषणा दर्ज कर सकता है, और शुल्क की राशि निर्धारित कर सकता है जिसके साथ ऐसा साधन प्रभार्य है, और इसकी आवश्यकता हो सकती है -

आई. उचित शुल्क या उसकी पूर्ति के लिए अपेक्षित राशि का भुगतान करने के लिए संबंधित पक्ष या व्यक्ति, धारा 34 के तहत दंड या भुगतान की गई राशि से अधिक शुल्क और दंड का भुगतान करने के लिए,

स्वयं या कलेक्टर को; और

ii. कोई भी व्यक्ति जिसके कब्जे या शक्ति में ऐसा उपकरण हो।

तब, उसी का उत्पादन करना है, और उसी को जब्त कर सकता है

जब उत्पादन किया जाता है।

(3) जब कोई घोषणा उप-धारा (2) के तहत दर्ज की गई है, तो उसे दर्ज करने वाला न्यायालय कलेक्टर को उसकी एक प्रति भेजेगा, और जहां वह दस्तावेज, जिससे वह संबंधित है, जब्त कर लिया गया है या अन्यथा ऐसे न्यायालय के कब्जे में है, वहां उसे भी ऐसा दस्तावेज भेजेगा।

(3ए) जब किसी भी लिखत के संबंध में देय शुल्क और जुर्माना, के अनुसार, के तहत की गई घोषणा

उप-धारा (3) और जिसके तहत भुगतान करने की आवश्यकता होती है, उसका भुगतान न्यायालय या कलेक्टर को किया जाता है, फिर न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, कलेक्टर उस पर समर्थन करके प्रमाणित करेगा कि प्रत्येक की राशि बताते हुए उचित शुल्क और जुर्माना, ऐसे लिखत के संबंध में और उसी का भुगतान करने वाले व्यक्ति के नाम और निवास के संबंध में लिया गया है।

(3ख) इस प्रकार समर्थित प्रत्येक लिखत, इस संबंध में एक आवेदन पर, उस व्यक्ति को दी जाएगी जिससे

उस लिखत का कब्जा जो ऐसे न्यायालय के कब्जे में आया था, या जैसा कि ऐसा व्यक्ति अपने द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को निर्देशित कर सकता है।

(4) कलेक्टर, साक्षय में ऐसे दस्तावेज को स्वीकार करने के आदेश में या धारा 41 के तहत या धारा 42 में दिए गए किसी प्रमाण पत्र में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी व्यक्ति पर स्टाम्प कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चला सकता है, जिसे कलेक्टर मानता है कि उसने किया है।

इस तरह के उपकरण:

एम/एस। एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

बशर्ते कि -

(क) ऐसा कोई अभियोजन स्थापित नहीं किया जाएगा जहां राशि

कर्तव्य और दंड सहित, जो निर्धारण के अनुसार

ऐसे न्यायालय के तहत लिखत के संबंध में देय था धारा 34, न्यायालय या कलेक्टर को भुगतान किया जाता है, जब तक कि

उचित शुल्क के भुगतान से बचने का इरादा;

(ख) ऐसे अभियोजन के उद्देश्यों के अलावा कोई घोषणा नहीं

इस धारा के तहत किया गया आदेश किसी भी आदेश की वैधता को प्रभावित करेगा।

साक्षय या किसी प्रमाण पत्र में किसी भी साधन को स्वीकार करना धारा 41 "के तहत प्रदान किया गया।

(के) महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची I की मद संख्या 63,

1958 प्रदान करता है कि:

वाद्ययंत्रों का विवरण

उचित मुद्रांक शुल्क

काम करता है अनुबंध, अर्थात, ए

63

कार्यों और श्रम या सेवाओं के लिए अनुबंध

माल में संपत्ति का हस्तांतरण शामिल है

(चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) इसका निष्पादन और इसमें एक उप-अनुबंध शामिल है,

(क) जहाँ पाँच सौ रुपये में निर्धारित राशि या मूल्य

ऐसा अनुबंध दस लाख रुपये से अधिक नहीं है।

पाँच सौ रुपये से अधिक

((ख) जहां यह दस लाख रुपये से अधिक है।

0.1 प्रतिशत।

राशि में से

दस लाख रुपये

से अधिक

अधिकतम के अधीन

बीस-पाँच लाख

रुपये

5.4 मुद्रांक अधिनियम एक वित्तीय उपाय है जिसे सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया है

कानून या पक्षों की सहमति से किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए साक्षय में अप्रकाशित दस्तावेज को स्वीकार किया जा रहा है या उस पर कार्रवाई की जा रही है, साक्षय प्राप्त करने की शक्ति, जब तक कि ऐसे उपकरण पर विधिवत मुहर न लग जाए। धारा 34 के परंतुक में कहा गया है कि अपेक्षित स्टाम्प शुल्क के भुगतान पर, दस्तावेज को साक्षय में स्वीकार किया जा सकता है।

भारतीय डाक टिकट अधिनियम में आने वाले शब्द "किसी भी उद्देश्य के लिए"

राम रतन बनाम में प्रिवी काउंसिल द्वारा व्याख्या की गई थी। परम नंद, 19 जिसमें यह आयोजित किया गया था:

19 (1945-46) 73 आई ए 28: एयर 1946 पीसी 51।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 में 'किसी भी उद्देश्य के लिए' शब्दों को उनका स्वाभाविक अर्थ और प्रभाव दिया जाना चाहिए और इसमें एक संपार्श्विक उद्देश्य (और यह कि) एक अप्रकाशित विभाजन विलेख का उपयोग मौखिक साक्षय की पुष्टि करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

विभाजन के तथ्य को भी इसकी शर्तों से अलग के रूप में निर्धारित करना।

5.5 महाराष्ट्र डाक टिकट अधिनियम, 1958 की धारा 41 (1) में प्रावधान है कि उपकरण पर विधिवत मुहर लगाने के बाद, इसका समर्थन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा - कलेक्टर। एक बार मुद्रांक शुल्क के भुगतान का उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद, उस साधन के आधार पर दावा करने वाले पक्ष को प्रारंभिक दोष या अनियमितता के आधार पर पराजित नहीं किया जाएगा। उक्त अधिनियम की धारा 41 (2) में प्रावधान है कि डाक टिकट का भुगतान करने पर

संबंधित कलेक्टर द्वारा कर्तव्य और अनुमोदन, ऐसे उपकरण की स्वीकार्यता और वैधता का दोष ठीक हो जाएगा। 5.6 यह न्यायालय एस. एम. एस. टी एस्टेट्स प्रा. लि. में है। लिमिटेड वी. एम/एस। चांदमारी टी कंपनी प्रा. लि. लिमिटेड 20 ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या एक अपंजीकृत और अपंजीकृत पट्टा विलेख में एक मध्यस्थता समझौता है, जिसके लिए धारा 17 और 19 के तहत अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

पंजीकरण अधिनियम 1908, वैध और प्रवर्तनीय था, जो उक्त पट्टा विलेख का एक हिस्सा था जो अमान्य और अप्रवर्तनीय था। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित दो मुद्दों पर विचार किया:

(i) क्या एक अपंजीकृत (लेकिन अनिवार्य रूप से पंजीकृत) लिखत में निहित मध्यस्थता समझौता वैध और लागू करने योग्य है? ((ii) क्या किसी अपंजीकृत लिखत में मध्यस्थता समझौता, जिस पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, वैध और लागू करने योग्य है?

पहले मुद्दे के संबंध में, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 11. धारा 49 में यह स्पष्ट किया गया है कि एक दस्तावेज जो अनिवार्य रूप से पंजीकृत है, यदि पंजीकृत नहीं है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उसमें किसी भी तरह से निहित अचल संपत्ति। यह दो सीमित उद्देश्यों को छोड़कर ऐसी संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी भी लेनदेन के प्रमाण के रूप में प्राप्त नहीं किया जाएगा। पहला सबूत के रूप में है विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक सूट में एक अनुबंध। दूसरा किसी भी संपार्श्विक लेन-देन के प्रमाण के रूप में है जिसे पंजीकृत साधन द्वारा प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। एक संपार्श्विक लेनदेन अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाला लेनदेन नहीं है, बल्कि एक लेनदेन है।

1) 14 एससीसी 66।

नैना ठक्कर बनाम में वेद। अन्नपूर्णा बिल्डर्स, (2013) 14 एससीसी 354।

' एस. एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो निक्यू फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

जो संयोग से उस लेन-देन से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या एक अपंजीकृत दस्तावेज़ (जो अनिवार्य रूप से पंजीकृत है) में मध्यस्थता का प्रावधान एक संपार्श्विक लेनदेन है, जिसके संबंध में ऐसा अपंजीकृत दस्तावेज़ प्राप्त किया जा सकता है

पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 के प्रावधान के तहत साक्षय।

12. जब एक अनुबंध में एक मध्यस्थता समझौता होता है, तो यह एक

विवादों के समाधान से संबंधित संपार्श्विक अवधि, अनुबंध के प्रदर्शन से असंबंधित। मानो दो अनुबंध एक मुख्य अनुबंध की मूल शर्तों के संबंध में और दूसरा विवादों के समाधान से संबंधित-सुविधा के उद्देश्यों के लिए एक में शामिल किए गए थे। इसलिए एक मध्यस्थता खंड अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र एक समझौता है या

के तहत या में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के उद्देश्य के लिए अनुबंध के साथ संबंध।

13. इसी तरह, जब हस्तांतरण के किसी लिखत या विलेख (या अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाले दस्तावेज़) में मध्यस्थता होती है। समझौता, यह विवादों के समाधान से संबंधित एक संपार्श्विक शब्द है,

अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाले हस्तांतरण या लेनदेन से असंबंधित। यह दो दस्तावेजों की तरह है-एक पंजीकरण की आवश्यकता वाली अचल संपत्ति को प्रभावित करता है और दूसरा समाधान से संबंधित है। जिन विवादों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत नहीं किया जा सकता है, उन्हें एक ही दस्तावेज में शामिल किया जाता है। इसलिए, भले ही अचल संपत्ति के हस्तांतरण के विलेख को वैध या प्रवर्तनीय नहीं होने के रूप में चुनौती दी जाती है, मध्यस्थता समझौता हस्तांतरण विलेख के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के उद्देश्य से अप्रभावित रहेगा।

... .

16. मध्यस्थता समझौते के लिए पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भले ही यह किसी अनुबंध या लिखत में खंडों में से एक के रूप में पाया जाता है, यह विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक स्वतंत्र समझौता है, जो मुख्य अनुबंध या लिखत से स्वतंत्र है। इसलिए अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के साथ पठित पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, एक अपंजीकृत लेकिन अनिवार्य रूप से [2021] 4 एस. सी. आर. में एक मध्यस्थता समझौता।

पंजीकृत दस्तावेज़ पर कार्रवाई की जा सकती है और इसके लिए लागू किया जा सकता है

मध्यस्थता द्वारा विवाद समाधान का उद्देश्य।

एक अनुबंध या साधन के संबंध में जो एक पक्ष के विकल्प पर अमान्य है (उदाहरण के रूप में यू/एस। 19 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872) निर्णय के पैराग्राफ 15 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मुख्य समझौते से जुड़ी अयोग्यता भी मध्यस्थता समझौते से जुड़ी हो सकती है, यदि मुख्य समझौते को अमान्य बनाने वाले कारण मध्यस्थता समझौते के निर्माण के संबंध में भी मौजूद हैं। पैराग्राफ 15 इस प्रकार है:

" 15. लेकिन जहां अनुबंध या साधन किसी पक्ष के विकल्प पर अमान्य है (उदाहरण के लिए अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 19 के तहत), मुख्य समझौते से खुद को जोड़ने वाली अयोग्यता भी मध्यस्थता समझौते से जुड़ी हो सकती है, यदि मुख्य समझौते को अमान्य बनाने वाले कारण मध्यस्थता समझौते के निर्माण के संबंध में भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान या जीवन के लिए खतरे के तहत अपनी संपत्ति बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है, और उक्त व्यक्ति उस आधार पर समझौते को अस्वीकार करता है, तो न केवल बिक्री के लिए समझौता, बल्कि उसमें कोई भी मध्यस्थता समझौता बाध्यकारी नहीं होगा।

दूसरे मुद्दे के संबंध में कि क्या एक अनस्टैम्प्ड अनुबंध में मध्यस्थता समझौते पर कार्रवाई की जा सकती है, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

19. मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 को ध्यान में रखते हुए, जब तक कि मुद्रांक शुल्क और लिखत के संबंध में देय दंड का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक न्यायालय लिखत पर कार्रवाई नहीं कर सकता है, जिसका अर्थ है कि वह मध्यस्थता समझौते पर भी कार्य नहीं कर सकता है जो लिखत का हिस्सा है। मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 एक अपंजीकृत दस्तावेज के संबंध में पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 से अलग और अलग है। मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 में पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 जैसा कोई प्रावधान नहीं है जो संपार्श्विक लेनदेन स्थापित करने के लिए साधन का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

21. इसलिए, जब किसी पट्टा विलेख या किसी अन्य लिखत पर मध्यस्थता समझौते का प्रतिवाद करने के लिए भरोसा किया जाता है, तो अदालत को शुरू में ही विचार करना चाहिए कि क्या उस ओर से कोई आपत्ति उठाई गई है या नहीं, क्या दस्तावेज़ पर ठीक से मुहर लगाई गई है। यदि यह इस निष्कर्ष पर आता है कि इस पर ठीक से मुहर नहीं लगी है, तो यह होना चाहिए।

एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो निक्यू फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

स्टाम्प अधिनियम की धारा 38 में निर्दिष्ट तरीके से जब्त और निपटाया गया। न्यायालय ऐसे दस्तावेज़ या उसमें मध्यस्थता खंड पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। लेकिन यदि घाटा शुल्क और जुर्माना का भुगतान धारा 35 या धारा 40 में निर्धारित तरीके से किया जाता है।

स्टाम्प एक्ट, दस्तावेज़ पर कार्रवाई की जा सकती है या सबूत में स्वीकार किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

5.7 एस. एम. एस. टी एस्टेट्स में निर्णय यू/एस. द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था। 11 2016 के संशोधन के पारित होने से पहले मध्यस्थता के लिए विवादों के संदर्भ के लिए मध्यस्थता अधिनियम। उस समय, कानून जैसा कि यह प्रचलित था, जैसा कि में समझाया गया था एस. बी. पी. एंड कंपनी बनाम में संविधान पीठ का निर्णय। पटेल इंजीनियरिंग Ltd.[11], और अन्य मामले जैसे राष्ट्रीय बीमा कंपनी v. बोघारा पॉलीफैब 22, मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम। भारत संघ 23 आदि ने अभिनिर्धारित किया कि एक आवेदन यू/एस में पूर्व-संदर्भ चरण में। 11 (6) , न्यायालय कुछ सीमा मुद्दों का निर्धारण कर सकता है, जैसे कि क्या दावा समय-वर्जित था, एक बासी दावा था, या क्या समझौता और संतुष्टि हुई थी, जो

मध्यस्थता के लिए संदर्भ की आवश्यकता।

5.8 धारा 11 को 2016 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें खंड (6ए) जोड़ा गया था, जो अब प्रदान करता है कि इसके बावजूद

किसी भी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश, परीक्षा केवल एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व तक ही सीमित होगी। 2016 के संशोधन ने यू/एस के अधिकार क्षेत्र के संबंध में स्थिति को विधायी रूप से खारिज कर दिया। 11 मध्यस्थता अधिनियम, और परीक्षा को केवल एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व तक सीमित रखा। डचूरो फेलगुएरा बनाम। गंगावरम बंदरगाह Ltd.24 यह माना गया था कि विधायी इरादा स्पष्ट था कि पूर्व में

संदर्भ चरण में, न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप होना चाहिए, और निर्णय लिया जाने वाला एकमात्र मुद्दा मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व होगा, और इससे अधिक कुछ नहीं। मायावती ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस स्थिति की पुष्टि की थी। प्रद्युत देब बर्मन। 25

5) 8 एससीसी 618। 9) 1 एससीसी 267। 1) 12 एससीसी 357। 7) 9 एससीसी 729। 9) 8 एससीसी 714।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5.9 यह मुद्दा कि क्या किसी दस्तावेज़/समझौते/परिवहन में एक मध्यस्थता खंड, जिस पर संबंधित स्टाम्प अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से मुहर लगाने की आवश्यकता होती है, लेकिन विधिवत मुहर नहीं लगाई जाती है, धारा 11 में खंड (6ए) के सम्मिलन के बाद लागू किया जा सकता है, इस अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए लाया गया। गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड (ऊपर) में, न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 19. यह देखा जाएगा कि न तो उद्देश्यों और कारणों के विवरण में और न ही विधि आयोग की रिपोर्ट में एस. एम. एस. चाय संपदाओं का कोई उल्लेख है। यह बहुत अच्छे कारण के लिए है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, धारा 11 के आवेदन पर निर्णय लेते समय, किसी भी तरह से, पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रारंभिक प्रश्न का निर्णय नहीं करता है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय केवल एक अनिवार्य अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बना रहा है, जो निस्संदेह राजस्व की रक्षा के लिए है। एस. एम. एस. टी एस्टेट्स ने स्टाम्प अधिनियम में निहित अनिवार्य प्रावधानों को ध्यान में रखा है और उन्हें न्यायिक अधिकारियों पर लागू किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और धारा 11 के तहत कार्य करने वाला उच्च न्यायालय शामिल होगा। धारा 11 (6-ए) पर बारीकी से नज़र डालने से पता चलता है कि जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी आवेदन पर विचार करता है

धारा 11 (4) से 11 (6) तक, और एक समझौते या हस्तांतरण में एक मध्यस्थता खंड के सामने आता है जिस पर मुहर नहीं लगाई जाती है, यह आदेश दिया जाता है

मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों द्वारा पहले समझौते या परिवहन को जब्त करने और यह देखने के लिए कि मुद्रांक शुल्क और जुर्माना (यदि कोई हो)

समग्र रूप से समझौते से पहले भुगतान पर कार्रवाई की जा सकती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्टाम्प अधिनियम समग्र रूप से समझौते या परिवहन पर लागू होता है। इसलिए, ऐसे समझौते या हस्तांतरण में निहित मध्यस्थता खंड को विभाजित करना संभव नहीं है ताकि इसे एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया जा सके, जैसा कि तर्क दिया गया है।

उत्तरदाता के लिए। पंजीकरण अधिनियम, 1908 और 1996 के अधिनियम के सामंजस्यपूर्ण अध्ययन पर कुछ सीमित उद्देश्यों के लिए दिए जा सकने वाले स्वतंत्र अस्तित्व का उल्लेख किया गया है:

एस. एम. एस. टी एस्टेट्स में रवींद्रन, जे. जब एक अपंजीकृत समझौते या परिवहन की बात आती है।

तथापि, स्टाम्प अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 49 में निहित है।

एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो निक्यू फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

उक्त निर्णय द्वारा समग्र रूप से समझौते या हस्तांतरण पर लागू होने के लिए अभिनिर्धारित किया गया, जिसमें उसमें निहित मध्यस्थता खंड शामिल होगा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 11 (6 ए) की शुरूआत, किसी भी तरह से, एस. एम. एस. चाय संपदाओं में निर्णय के आधार से संबंधित नहीं है या उससे आगे नहीं बढ़ती है, जो धारा 11 (6-ए) के संशोधन के बाद भी लागू होती है।

22. जब एक मध्यस्थता खंड "एक अनुबंध में" निहित होता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि समझौता केवल एक अनुबंध बन जाता है यदि यह है

कानून द्वारा प्रवर्तनीय। हमने देखा है कि कैसे, स्टाम्प अधिनियम के तहत, एक समझौता एक अनुबंध नहीं बन जाता है, अर्थात्, यह कानून में लागू करने योग्य नहीं है, जब तक कि उस पर विधिवत मुहर नहीं लगाई जाती है। इसलिए, धारा 11 (6-ए) को जब 1996 के अधिनियम की धारा 7 (2) और अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (एच) के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी समझौते में मध्यस्थता खंड तब मौजूद नहीं होगा जब वह कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। यह भी एक संकेतक है कि धारा 11 (6-ए) के संशोधन ने किसी भी तरह से एस. एम. एस. टी एस्टेट को प्रभावित नहीं किया है।

यह तभी सक्रिय होगा जब कोई बीमाकर्ता देयता स्वीकार करता है या स्वीकार करता है। चूंकि तथ्यों पर यह पाया गया कि बीमाकर्ता ने दावे को अस्वीकार कर दिया, हालांकि एक मध्यस्थता खंड "मौजूद" था, इसलिए बोलने के लिए, पॉलिसी में, यह कानून में मौजूद नहीं होगा, जैसा कि उस निर्णय में माना गया था, जब एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात्, बीमाकर्ता ने दायित्व को स्वीकार या स्वीकार नहीं किया है। इसी प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता खंड जो

उप-अनुबंध तब तक कानून के मामले के रूप में "मौजूद" नहीं होगा जब तक कि उप-अनुबंध पर विधिवत मुहर नहीं लग जाती, जैसा कि हमारे द्वारा ऊपर माना गया है। द.

यह तर्क कि धारा 11 (6-ए) धारा 8, धारा 16 और धारा 45 के विपरीत "अस्तित्व" से संबंधित है, जो मध्यस्थता समझौते की "वैधता" से संबंधित है, इस न्यायालय द्वारा उत्तर दिया जाता है।

हुंडई इंग में अभिव्यक्ति "अस्तित्व" की समझ। मामला [यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। हुंडई इंग।

कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, (2018) 17 एस. सी. सी. 607: (2019) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 530], जैसा कि हमारे द्वारा अनुसरण किया जाता है।

37. निहित प्रावधानों को सुसंगत बनाने का एक उचित तरीका

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 और 34 में, जो एक

सामान्य क़ानून जहाँ तक राजस्व की सुरक्षा से संबंधित है, और 1996 के अधिनियम की धारा 11 (13), जो विशेष रूप से शीघ्रता पर लागू होती है।

मध्यस्थ की शीघ्र नियुक्ति द्वारा विवादों का समाधान,

यह घोषणा करते हुए कि धारा 11 के साथ आगे बढ़ते हुए

आवेदन, उच्च न्यायालय को उस लिखत को जब्त करना चाहिए जो स्टाम्प शुल्क वहन नहीं किया है और इसे प्राधिकरण को सौंप दिया है

महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट, जो तब मुद्दों का फैसला करेगा मुद्रांक शुल्क और जुर्माने (यदि कोई हो) का भुगतान जितनी जल्दी हो सके

संभव है, और अधिमानत: तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर

जिस पर प्राधिकरण उपकरण प्राप्त करता है। जैसे ही मुहर लगे उपकरण पर शुल्क और जुर्माना (यदि कोई हो) का भुगतान किया जाता है।

पक्षकार इस लिखत को उच्च न्यायालय के ध्यान में ला सकते हैं,

जो तब तेजी से सुनवाई और निपटान के लिए आगे बढ़ेगा

धारा 11 आवेदन। यह यह भी सुनिश्चित करेगा कि एक बार एक अनुभाग

11 आवेदन की अनुमति है और एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है,

मध्यस्थ तब समय के भीतर विवाद का फैसला करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

1996 के अधिनियम की धारा 29-ए द्वारा प्रदान की गई रूपरेखा।

(जोर दिया गया)

6. हमने महाराष्ट्र के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

स्टाम्प अधिनियम, 1958 और उसमें जोड़ी गई अनुसूची I, जो धारा 3 में निर्दिष्ट उपकरणों को सूचीबद्ध करती है, जिन पर स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है। हम पाते हैं कि एक मध्यस्थता समझौते को स्टाम्प शुल्क के लिए प्रभार्य साधन के रूप में अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की अनुसूची I की मद 12 में शामिल हैं -

स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए प्रभार्य होने के लिए एक मध्यस्थ द्वारा पारित एक पुरस्कार, जो निम्नानुसार है:

उपकरण का विवरण

उचित मुद्रांक शुल्क

12. पुरस्कार, अर्थात, लिखित रूप में कोई भी निर्णय

मध्यस्थ या अंपायर, एक निर्देश देने वाला पुरस्कार नहीं है

विभाजन, एक आदेश के अलावा अन्यथा किए गए संदर्भ पर किसी वाद के दौरान न्यायालय का।

एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो निक्यू फ्लेम लिमिटेड। & अन्य
[इंदू मल्होत्रा, जे.]

(क) जहाँ संपत्ति के मूल्य की राशि जिसके लिए

बॉन्ड के समान कर्तव्य

(नहीं।

पुरस्कार इस तरह के पुरस्कार में निर्धारित के रूप में अधिक नहीं है

15) इतनी राशि के

लिए।

रु. 1,000 ;

पाँच रुपये।

((b) किसी अन्य मामले में

छूट

बॉम्बे जिला नगरपालिका अधिनियम, 1873 के तहत पुरस्कार,

धारा 81, या बॉम्बे वंशानुगत कार्यालय अधिनियम, 1874,

धारा 18.

श्रीराम ईपीसी लिमिटेड बनाम। रियोग्लास सोलर एसए, 26 यह कोर्ट

कि स्टाम्प शुल्क का भुगतान किए गए पुरस्कारों पर लागू होता है

लेकिन इसमें कोई "विदेशी पुरस्कार" शामिल नहीं है जिसे शामिल नहीं किया गया है।

डाक टिकट अधिनियम, 1899 की अनुसूची।

6.1

वर्तमान मामले में जो मुद्दा उठा है वह यह है कि क्या

अनस्टैम्प्ड कार्य में शामिल मध्यस्थता समझौता

28.09.2015 दिनांकित आदेश भी कानूनी रूप से अप्रवर्तनीय होगा, जब तक कि

ऐसा समय जब कार्य आदेश डाक टिकट के भुगतान के अधीन हो

कर्तव्य। निर्विवाद रूप से, कार्य आदेश के भुगतान के लिए प्रभार्य है पहली अनुसूची की वस्तु संख्या 63 के तहत स्टाम्प शुल्क

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958।

6.2

हमारे विचार में, डाक टिकट का भुगतान न करना या उसमें कमी होना

कार्य आदेश पर शुल्क मुख्य अनुबंध को अमान्य नहीं करता है।

धारा 34 में यह प्रावधान है कि एक अनस्टैम्प्ड उपकरण नहीं होगा

साक्षय में स्वीकार्य, या आवश्यक मुहर तक कार्रवाई की जाए

शुल्क का भुगतान किया जाता है। यह केवल एक कमी होगी, जो हो सकती है

अपेक्षित स्टाम्प शुल्क के भुगतान पर ठीक किया जाए।

विचार करने की बात यह है कि क्या भुगतान नहीं किया गया है।

6.3 कार्य आदेश पर स्टाम्प शुल्क, मध्यस्थता प्रदान करेगा

खंड अमान्य, गैर-मौजूद, या कानून में अप्रवर्तनीय, डाक टिकट तक मूल वाणिज्यिक अनुबंध पर शुल्क का भुगतान किया जाता है।

कार्य आदेश में निहित मध्यस्थता समझौता

6.4

अंतर्निहित वाणिज्यिक से स्वतंत्र और अलग है

अनुबंध। मध्यस्थता समझौता एक ऐसा समझौता है जो

विवाद समाधान का तरीका प्रदान करता है। धारा 3

महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट मध्यस्थता समझौते के अधीन नहीं है।

विभिन्न अन्य समझौतों के विपरीत, स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना।

8) 18 एससीसी 313।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध। यह स्पष्ट कारण है कि एक मध्यस्थता समझौता विवादों को हल करने के लिए एक समझौता है।

मध्यस्थता। पृथकता के सिद्धांत के आधार पर, मध्यस्थता समझौता एक अलग और विशिष्ट समझौता है

अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुबंध से, बच जाएगा मूल अनुबंध से स्वतंत्र। मध्यस्थता समझौते को अमान्य, अप्रवर्तनीय या अस्तित्वहीन नहीं माना जाएगा, भले ही मूल अनुबंध साक्षय में स्वीकार्य न हो, या स्टाम्प शुल्क का भुगतान न करने के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकती हो।

हिन्दुस्तान स्टील में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

6.5 सीमित वी। एम/एस। दिलीप कंस्ट्रक्शन कंपनी 27 ने कहा कि:

" 4. पुरस्कार, जो स्टाम्प अधिनियम के अर्थ के भीतर एक "साधन" है, पर मुहर लगाने की आवश्यकता थी। होना।

न्यायालय द्वारा साक्षय के रूप में पुरस्कार प्राप्त नहीं किया जा सका और न ही उस पर कार्रवाई की जा सकी। लेकिन न्यायालय इसे जब्त करने और उस पर लगाए गए शुल्क और जुर्माने की राशि बताते हुए लिखित प्रमाण पत्र के साथ कलेक्टर को भेजने के लिए सक्षम था। इस प्रकार प्राप्त लिखत पर कलेक्टर यह निर्णय ले सकता है कि क्या उस पर विधिवत मुहर लगी है और उसे उस पर जुर्माना देने की आवश्यकता हो सकती है, यदि उसके विचार में उस पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है। यदि शुल्क और जुर्माने का भुगतान किया जाता है, तो कलेक्टर दस्तावेज़ पर समर्थन द्वारा प्रमाणित करेगा कि उचित शुल्क और जुर्माना का भुगतान किया गया है।

5. एक उपकरण जिस पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, उसे किसी भी व्यक्ति द्वारा साक्षय के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसके पास साक्षय प्राप्त करने का अधिकार है, और उस व्यक्ति या किसी भी जनता द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अधिकारी। धारा 35 में प्रावधान है कि एक की स्वीकार्यता

साक्षय में एक बार स्वीकार किए गए लिखत को, सिवाय इसके कि -

धारा 61 में उपबंधित, उसी वाद या कार्यवाही के किसी भी चरण में इस आधार पर प्रश्न में बुलाया जाए कि लिखत के पास है

उचित रूप से मुहर नहीं लगाई गई। 6. धारा 35 और 36 के बीच वाक्यांश विज्ञान में अंतर पर भरोसा करते हुए यह आग्रह किया गया कि एक उपकरण जिस पर

विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है, उसे शुल्क और दंड के भुगतान पर साक्षय में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि धारा 35 और 36 के बीच वाक्यांश विज्ञान में अंतर है।

59) 1 एससीसी 597।

एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो

यूई फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

35 प्रमाण में प्रवेश के लिए एक बार के रूप में काम करता है

उपकरण पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है और साथ ही उस पर कार्रवाई की जा रही है,

और विधानमंडल ने धारा 36 द्वारा निर्धारित शर्तों में इसमें केवल साक्षय में प्रवेश के खिलाफ प्रतिबंध हटा दिया गया था

यंत्र। तर्क अनुभाग के वास्तविक महत्व को नजरअंदाज करता है।

36. उस धारा द्वारा एक बार साक्षय में स्वीकार किया गया एक साधन उसी वाद के किसी भी स्तर पर प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा या

इस आधार पर कार्यवाही कि उस पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है।

धारा 36 किसी उपकरण के खिलाफ चुनौती को प्रतिबंधित नहीं करती है। कि उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि उस पर विधिवत मुहर नहीं लगी है,

लेकिन उस खाते पर एक उपकरण के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं है

उपकरणों के कुछ वर्गों पर राज्य के लिए: यह अधिनियमित नहीं है मुकदमे का सामना करने के लिए एक वादी को तकनीकी हथियार से लैस करना

अपने प्रतिद्वंद्वी से। अधिनियम के कठोर प्रावधान हैं -

राजस्व के हित में कल्पना की गई है जब वह उद्देश्य है कानून के अनुसार सुरक्षित, पक्ष पर अपना दावा करता है

प्रारंभिक के आधार पर उपकरण को पराजित नहीं किया जाएगा

यंत्र में दोष। उस प्रकाश में देखा जाए तो यह योजना है

साफ है। डाक टिकट अधिनियम की धारा 35 एक बाधा के रूप में काम करती है बिना मोहर वाले उपकरण को साक्षय में शामिल किया जा रहा है या कार्रवाई की जा रही है

पर; धारा 40 उपकरणों के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है

जब्त, धारा 42 की उप-धारा (1) प्रमाणित करने का प्रावधान करती है

कि एक उपकरण पर विधिवत मुहर लगाई गई है, और इसकी उप-धारा (2)

धारा 42 इस प्रकार के परिणामों को अधिनियमित करती है

प्रमाणन "।

(जोर दिया गया)

हमारे विचार में, इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है

6

मध्यस्थता समझौते की बलपूर्वकता, का भुगतान लंबित है

मूल अनुबंध पर शुल्क। का निर्णय

कार्य आदेश या मूल [2021] 4 एस. सी. आर. के तहत कार्य और दायित्व।

हालांकि वाणिज्यिक अनुबंध अनुपालन से पहले आगे नहीं बढ़ेगा।

मुद्रांक अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के साथ। 6.7

स्टाम्प एक्ट स्टाम्प एक्ट में निर्दिष्ट कुछ वर्गों के उपकरणों पर राज्य को स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए एक वित्तीय अधिनियम है। भारतीय डाक टिकट अधिनियम, 1899 की धारा 40 उन उपकरणों के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है जिन्हें जब्त कर लिया गया है, और

धारा 42 की उप-धारा (1) में संबंधित कलेक्टर द्वारा विधिवत मुहर लगाने के बाद दस्तावेज का समर्थन करने की आवश्यकता होती है। धारा 42 (2) में प्रावधान है कि दस्तावेज़ पर विधिवत मुहर लगने के बाद, यह होगा -

साक्षय में स्वीकार्य, और उस पर कार्रवाई की जा सकती है।

हमारे विचार में, एस. एम. एस. चाय संपदाओं में निर्णय नहीं है।

6.8 दो मुद्दों पर कानून में सही स्थिति निर्धारित करें अर्थात (i) कि एक अप्रकाशित वाणिज्यिक अनुबंध में एक मध्यस्थता समझौते पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, या कानून में अप्रवर्तनीय है; और (ii) कि

एक मध्यस्थता समझौता अमान्य होगा जहाँ अनुबंध या

एक पक्ष के विकल्प पर उपकरण अमान्य है, जैसे कि यू/एस। 19 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872।

हम मानते हैं कि चूंकि मध्यस्थता समझौता एक है

पक्षकारों के बीच स्वतंत्र समझौता, और स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए प्रभार्य नहीं है, वाणिज्यिक अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं करना, मध्यस्थता खंड को अमान्य नहीं करेगा, या इसे अप्रवर्तनीय नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। पृथकता के मुद्दे पर न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

मूल अनुबंध के पंजीकरण पर मध्यस्थता खंड का, स्टाम्प अधिनियम के संबंध में भी पालन किया जाना चाहिए था। मूल अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान न करने से मुख्य अनुबंध भी अमान्य नहीं होगा। यह एक कमी जो अपेक्षित स्टाम्प शुल्क के भुगतान पर ठीक की जा सकती है।

एस. एम. एस. टी एस्टेट का दूसरा अंक बताता है कि एक अमान्य

6.9 अनुबंध मध्यस्थता योग्य नहीं होगा क्योंकि यह मध्यस्थता समझौते की वैधता को प्रभावित करता है, हमारे विचार में कानून में सही स्थिति नहीं है। एक पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप कि मूल अनुबंध जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गलत निरूपण द्वारा प्राप्त किया गया है, इस मुद्दे पर प्रमुख साक्षय द्वारा

साबित किया जाना चाहिए। इन मुद्दों पर निश्चित रूप से मध्यस्थता के माध्यम से निर्णय लिया जा सकता है।

एस. एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो निक्यू फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

हम उपरोक्त दो मुद्दों के संबंध में एस. एम. एस. टी एस्टेट्स में दिए गए फैसले को सही नहीं बताते हुए खारिज करते हैं।

कानून में स्थिति।

6.10

गरवारे फैसले ने फैसले का पालन किया है

निर्णय के अनुच्छेद 22 पर भरोसा यह तर्क देने के लिए कि मध्यस्थता खंड कानून में अस्तित्वहीन और अप्रवर्तनीय होगा, जब तक कि मूल अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क का निर्णय और भुगतान नहीं किया जाता है।

हम मानते हैं कि यह निष्कर्ष गलत है, और इसका कोई आधार नहीं है।

कानून में सही स्थिति। हम पहले ही मान चुके हैं कि मध्यस्थता समझौता अलग और स्वतंत्र है

अंतर्निहित मूल वाणिज्यिक अनुबंध। एक बार मध्यस्थता

समझौता एक स्वतंत्र अस्तित्व के लिए आयोजित किया जाता है, यह हो सकता है वाणिज्यिक की कथित अयोग्यता के बावजूद कार्रवाई की गई

अनुबंध। 6.11

हम देखते हैं कि गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड के फैसले को एक समन्वित पीठ द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है। विद्या द्रोलिया और अन्य में यह न्यायालय। वी. दुर्गा व्यापार

निगम। 28 फैसले का पैराग्राफ 92 इस प्रकार है:

" 92. अब हम इस प्रश्न की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या धारा 11 में 'अस्तित्व' शब्द केवल अनुबंध को संदर्भित करता है।

गठन (क्या कोई मध्यस्थता समझौता है) और प्रवर्तन (वैधता) के सवाल को बाहर करता है और इसलिए बाद वाला रेफरल चरण में अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। न्यायशास्त्र और पाठ्यवाद पर यह संभव है कि

मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बीच अंतर करें

और मध्यस्थता समझौते की वैधता। इस तरह की व्याख्या

शब्द के सादे अर्थ से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं " अस्तित्व '। हालाँकि, न्यायशास्त्र और प्रासंगिकता पर यह मानना भी समान रूप से संभव है कि किसी समझौते में कोई समझौता नहीं है।

अस्तित्व यदि यह प्रवर्तनीय नहीं है और बाध्यकारी नहीं है। एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व एक वैध समझौते का अनुमान लगाता है जिसे अदालत द्वारा पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए खारिज करके लागू किया जाएगा। कानूनी और सादे अर्थ की व्याख्या परिभाषा सहित प्रासंगिक पृष्ठभूमि के विपरीत होगी।

खंड और इसके परिणामस्वरूप अप्रिय परिणाम होंगे। ए.

सी. ए. संख्या 2402/2019 में 14.12.2020 पर सत्यापित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अप्रवर्तनीय दस्तावेज़। इस प्रकार, यह मानने के लिए अच्छे कारण हैं कि एक मध्यस्थता समझौता केवल तभी मौजूद होता है जब वह वैध और कानूनी होता है। एक शून्य और अप्रवर्तनीय समझ कुछ भी करने के लिए कोई समझौता नहीं है। मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व का अर्थ है एक मध्यस्थता समझौता जो मध्यस्थता अधिनियम और अनुबंध अधिनियम दोनों की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और संतुष्ट करता है और जब यह कानून में लागू करने योग्य होता है। हम विस्तार से आगे बढ़ेंगे और आगे के कारण देंगे:

(i) गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड में, इस न्यायालय ने एक अंतर्निहित अनुबंध में स्टाम्प शुल्क के सवाल की जांच की थी।

मध्यस्थता खंड और इस संदर्भ में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 (2) के पहले और दूसरे भाग के बीच अंतर किया गया था, यद्यपि मध्यस्थता समझौते के 'अस्तित्व' और 'वैधता' के संदर्भ में ऊपर की गई और उद्धृत टिप्पणियाँ उपयुक्त और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, हम इसके पैराग्राफ 29 को पुनः प्रस्तुत करके इसे दोहराएंगे:

" 29. हुंडई इंग में यह निर्णय। मामला महत्वपूर्ण है

कि जो विशेष रूप से विचाराधीन था वह एक था

मध्यस्थता खंड जो केवल तभी सक्रिय होगा जब कोई बीमाकर्ता दायित्व स्वीकार करता है या स्वीकार करता है। चूंकि तथ्यों पर यह पाया गया कि बीमाकर्ता ने दावे को अस्वीकार कर दिया, हालांकि एक मध्यस्थता खंड "मौजूद" था, इसलिए बोलने के लिए, पॉलिसी में, यह कानून में मौजूद नहीं होगा, जैसा कि उस निर्णय में माना गया था, जब एक महत्वपूर्ण तथ्य पेश किया जाता है, अर्थात्, बीमाकर्ता ने दायित्व को स्वीकार या स्वीकार नहीं किया है। इसी तरह, वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि उप-अनुबंध में निहित मध्यस्थता खंड तब तक कानूनी मामले के रूप में "मौजूद" नहीं होगा जब तक कि उप-अनुबंध पर विधिवत मुहर नहीं लग जाती, जैसा कि हम ऊपर मान चुके हैं। यह तर्क कि धारा 11 (6ए) धारा 8, धारा 16 और धारा 45 के विपरीत "अस्तित्व" से संबंधित है, जो एक मध्यस्थता समझौते की "वैधता" से संबंधित है, इस न्यायालय की अभिव्यक्ति "अस्तित्व" की समझ से जवाब मिलता है।

हुंडई इंग में। मामला, जैसा कि हमारे द्वारा अनुसरण किया जाता है।

एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो निक्यू फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

अस्तित्व और वैधता आपस में जुड़े हुए हैं, और मध्यस्थता समझौता

अस्तित्व में नहीं है यदि यह अवैध है या अनिवार्य कानूनी रूप से संतुष्ट नहीं है आवश्यकताएँ। अमान्य समझौता कोई समझौता नहीं है।

हम पैराग्राफ में लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर संदेह करते हैं।

6.12

92 विद्या द्रोलिया में तीन-न्यायाधीशों की पीठ। हम इस पर विचार करते हैं।

गरवारे के पैरा 22 और 29 में दिए गए निष्कर्षों को संदर्भित करना उचित है।

वॉल रोप्स लिमिटेड, जिसकी पैराग्राफ 92 में पुष्टि की गई है

विद्या द्रोलिया को पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में।

7. अगला मुद्दा जो उठता है वह यह है कि कौन सा प्राधिकरण ऐसा करेगा।

धारा 33 के तहत उपकरण को जब्त करने की शक्ति पढ़ें महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 34, एक ऐसे मामले में जहां

विरोधी अनुबंध में एक मध्यस्थता समझौता होता है।

7.1

मध्यस्थता समझौते में, विवादों को संदर्भित किया जा सकता है।

तीन तरीकों से मध्यस्थता।

क) पहला तरीका वह है जहाँ मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है।

के अनुसार पक्षों द्वारा सहमति से किया जाता है मध्यस्थता समझौते की शर्तें, या एक नामित मध्यस्थ द्वारा

संस्था, अदालत के हस्तक्षेप के बिना। ऐसे मामले में, मध्यस्थ/न्यायाधिकरण भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (या लागू राज्य अधिनियम) की धारा 33 द्वारा लिखत को जब्त करने और पक्षों को आवश्यक स्टाम्प शुल्क (और जुर्माना) का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए बाध्य है। यदि कोई हो), और संबंधित कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त करें।

यह धारा 34 के प्रावधानों से स्पष्ट होगा।

डाक टिकट अधिनियम का जो प्रावधान करता है कि "कोई भी व्यक्ति जिसके पास

कानून या साक्षय प्राप्त करने के लिए पक्षों की सहमति का अधिकार है

कानून द्वारा उपकरण को जब्त करने और पक्षों को निर्देशित करने के लिए अनिवार्य

अपेक्षित स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना।

ख) नियुक्ति का दूसरा तरीका वह है जहाँ पक्षकार

मध्यस्थता के अनुसार नियुक्ति करने में विफल

समझौता, और धारा 11 के तहत एक आवेदन दायर किया जाता है

नियुक्ति करने के लिए डिफ़ॉल्ट शक्ति का आह्वान करने के लिए न्यायालय। ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, जैसा भी मामला हो, धारा 11 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए,

मूल अनुबंध को जब्त कर लेगा जो या तो अप्रकाशित है

या अपर्याप्त रूप से मुहर लगाई गई, और पक्षकारों को मध्यस्थ/न्यायाधिकरण द्वारा अनुबंध पर निर्णय लेने से पहले दोष को ठीक करने का निर्देश दिया गया।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तीसरा तरीका है जब एक आवेदन के तहत दायर किया जाता है

(ग)

विवादों के संदर्भ के लिए न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष धारा 8 मध्यस्थता, क्योंकि अनुबंध का विषय एक मध्यस्थता समझौते द्वारा कवर किया जाता है। ऐसे मामले में न्यायिक प्राधिकरण मध्यस्थता का संदर्भ देगा। लेकिन इस बीच,

पक्षों को मूल अनुबंध करने का निर्देश दिया जाएगा

संबंधित डाक टिकट के प्रावधानों के अनुसार मुहर लगाई गई

अधिनियम, ताकि से उत्पन्न होने वाले अधिकार और दायित्व मूल अनुबंध पर निर्णय लिया जा सकता है।

धारा 9 के तहत आवेदन के मामले में

7.2 मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की स्थिति अलग होगी। यदि एक

तत्काल अंतरिम राहत के लिए आवेदन पहले धारा 9 के तहत दायर किया गया है।

न्यायालय, और यह न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है कि

मूल अनुबंध पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, न्यायालय अनुदान देगा

विज्ञापन-मध्यस्थता के विषय की सुरक्षा के लिए अंतरिम राहत। हालांकि, तब मूल अनुबंध को जब्त कर लिया जाएगा, और

संबंधित पक्ष को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाए

के अनुसार अपेक्षित स्टाम्प शुल्क का भुगतान

एक समयबद्ध अवधि के भीतर प्रासंगिक स्टाम्प अधिनियम के प्रावधान।

हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि कलेक्टर द्वारा मूल्यांकन किए गए मूल अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

के तहत उपलब्ध पुनरीक्षण/अपील के अधिकार के अधीन हो प्रासंगिक स्टाम्प अधिनियम।

8. क्या बैंक गारंटी का धोखाधड़ीपूर्ण आह्वान

बिट्रेबल?

8.1 वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता-वाणिज्यिक में वादी सूट ने अन्य बातों के साथ प्रस्तुत किया कि बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी

दिनांकित 28.09.2015 कार्य आदेश का उचित निष्पादन सुनिश्चित करना। यह.

अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि बैंक गारंटी धोखाधड़ी थी, क्योंकि समझौते पर कभी कार्रवाई नहीं की गई थी। कोई चालान नहीं उठाया गया था या भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था

कार्य आदेश के तहत। किसी भी कानूनी दायित्व के अभाव में कार्य आदेश के तहत भुगतान, बैंक का आह्वान

गारंटी धोखाधड़ी थी।

8.2 उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस मामले में धोखाधड़ी के आरोप सरल हैं, जो सामान्य रूप से कोई आपराधिक अपराध नहीं हैं और न ही आरोप इतने जटिल प्रकृति के हैं।

एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो निक्यू फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

जिसके लिए व्यापक साक्षय का नेतृत्व किया जाना आवश्यक होगा, इसलिए विवाद

8.3 मध्यस्थता अधिनियम के तहत, इस मुद्दे पर सबसे पहला निर्णय धोखाधड़ी के आरोपों की मध्यस्थता पर दो न्यायाधीशों द्वारा विचार किया गया था

एन. राधाकृष्णन बनाम. उस्ताद इंजीनियर। 29 इसमें मामले में, आवेदक ने गंभीर आरोप लगाए थे

खाते में कदाचार करने वाले उत्तरदाता

किताबें, और मनी-साझेदारी फर्म के वित्त की गणना। अ.

धारा 8 के तहत उत्तरदाताओं द्वारा आवेदन दायर किया गया था

मध्यस्थता के लिए विवादों का संदर्भ। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि

चूंकि मुद्दों में आरोपों की विस्तृत जांच शामिल थी

और विस्तृत साक्षय का उत्पादन, यह ठीक से नहीं हो सका

एक मध्यस्थ द्वारा निपटाया जाता है, और कानून की अदालत द्वारा निपटाया जाना चाहिए।

यह निर्णय अब्दुल कादिर बनाम के फैसले पर निर्भर था। माधव

प्रभाकर, 3 0 जो 1940 के अधिनियम के तहत पारित किया गया था। द.

अब्दुल कादिर में फैसला बदले में एक अंग्रेजी फैसले पर निर्भर था

रसेल वी. में प्रस्तुत किया गया। रसेल, 31 जिसमें यह आयोजित किया गया था कि एक पार्टी

जिनके खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाता है, उन्हें बचाव करने का अधिकार है

8.4 एन. राधाकृष्णन (ऊपर) में निर्णय एक पर आधारित है रसेल बनाम में प्रस्तावित कानून का पुराना दृष्टिकोण। रसेल, जो

यह 1899 के पहले अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम से भी पहले का है।

धोखाधड़ी की मध्यस्थता अब क्षमता से संबंधित मुद्दा नहीं है मध्यस्थ का, या विशाल साक्षय से निपटना। मध्यस्थ

अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम के अधिनियमन। धारा 24 (2) के तहत 1950 के अधिनियम के अनुसार, न्यायालय किसी न्यायाधिकरण के अधिकार को निरस्त कर सकता था

अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 107 (2) द्वारा निरसित एक्ट करें। रसेल ने मध्यस्थता पर अपनी टिप्पणी में कहा कि

(0) 1 एससीसी 72।

प्रॉपर्टीज एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड वी. नुस्ली नेविल वाडिया, 2011 (2) अरब एल. आर. 479 (बम); इसलिए न्यायमूर्ति डी. आर. धनुका (सेवानिवृत्त) का लेख 2010 (2) आर 13 के जर्नल सेक्शन में रिपोर्ट किया गया;एनर्जी लिमिटेड v. वेस्टास पवन प्रणाली और अन्य। , (2015) 219 डीएलटी 516। 2 1962 एससी 406: [1962] 3 एससीआर 702।

80] 14 च. डी 471।

21] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8.5 भारत रसिकलाल आश्रम बनाम। गौतम रसिकलाल अशरा, 33 ए दो-न्यायाधीशों की पीठ ने एक अलग दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि धारा 11 के तहत पूर्व संदर्भ चरण में, अदालत को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। का दायरा

परीक्षा केवल एक संदर्भ बनाने के लिए एक शर्त पूर्ववर्ती के रूप में एक वैध और लागू करने योग्य मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व है। यह आधार कि धोखाधड़ी, जालसाजी और मनगढ़ंत आरोपों में साक्षय की रिकॉर्डिंग शामिल होने की संभावना है, या निपटान में कुछ देरी शामिल है, विचार करने के लिए प्रासंगिक आधार नहीं थे।

8.6 विधायिका ने धारा 8 की उप-धारा (1) में संशोधन किया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एक न्यायिक प्राधिकरण पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा, जब तक कि वह यह न पाए कि प्रथम दृष्टया कोई वैध समझौता मौजूद नहीं है। संशोधित धारा 8 में कहा गया है: " 8. पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति जहां एक

सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए तब तक संदर्भित करता है जब तक कि यह नहीं पाता कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है। (2) ... .

(3) ..... "

धोखाधड़ी की मध्यस्थता के मुद्दे पर बाद में ए. अय्यासामी बनाम मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किया गया। ए. परमशिवम और Ors.[3]4। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 8 मध्यस्थता के संदर्भ को अनिवार्य करती है, जब तक कि मध्यस्थता समझौता अमान्य नहीं पाया जाता है। यह माना गया है कि विवादों की कुछ श्रेणियां जो सार्वजनिक प्रकृति की हैं, वे नहीं हैं। 32 मध्यस्थता पर रसेल, Pg.72, पैरा 2-083, और Pg.83, पैरा 2-107। 33 (2012) 2 एससीसी 144।

34 (2016) 10 एससीसी 386।

एम/एस। एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

मध्यस्थता द्वारा निर्णय लेने और निपटान करने में सक्षम, जो पक्षों की सहमति से गठित एक निजी मंच है। न्यायालय ने उन मामलों के बीच अंतर किया जहां गंभीर धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के आरोप हैं। केवल धोखाधड़ी सरलीकरणकर्ता के आरोप मध्यस्थता के संदर्भ को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है जहाँ के आरोप

धोखाधड़ी पक्षों के बीच विवादों से संबंधित है और इसका तीसरे पक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालाँकि, अदालतें केवल उन मामलों में मध्यस्थता का संदर्भ देने से इनकार कर सकती हैं जहां धोखाधड़ी के बहुत गंभीर आरोप हैं, जो धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का एक आभासी मामला बनाते हैं, या जहां धोखाधड़ी के आरोप इतने जटिल हैं, कि यह बिल्कुल आवश्यक हो जाता है कि ऐसे जटिल मुद्दों पर निर्णय केवल दीवानी अदालतों द्वारा भारी सबूतों की सराहना पर ही किया जाए। इसमें वे मामले भी शामिल होंगे जहां जालसाजी या दस्तावेजों के निर्माण के गंभीर आरोप हैं, या जहां मध्यस्थता खंड के संबंध में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, या जहां कथित धोखाधड़ी ऐसी प्रकृति की है कि यह मध्यस्थता के समझौते सहित पूरे अनुबंध में व्याप्त है। न्यायिक प्राधिकारी को यह निर्धारित करने के उद्देश्य से सामग्री की सावधानीपूर्वक छान-बीन करनी चाहिए कि क्या बचाव पक्ष केवल मध्यस्थता से बचने का बहाना है। यह राय दी गई थी कि मध्यस्थता अधिनियम की व्याख्या आम कानून की दुनिया में प्रचलित मध्यस्थता न्यायशास्त्र के अनुरूप लाने के लिए की जानी चाहिए।

8.7 राशिद रज़ा बनाम में अय्यासामी (ऊपर) में निर्णय का पालन किया गया था। सदफ अख्तर, 35, जिसमें अय्यासामी के पैरा 25 में निर्धारित दोहरे परीक्षण का पालन किया गया था, अर्थात: (i) धोखाधड़ी की याचिका पूरे अनुबंध में व्याप्त है और सबसे बढ़कर, मध्यस्थता का समझौता, इसे अमान्य बनाता है, या (ii) क्या धोखाधड़ी के आरोप पक्षों के आंतरिक मामलों को छूते हैं, जिसमें कोई अंतर नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र में निहितार्थ।

8.8 अमित लालचंद शाह और अन्य के बाद के निर्णय में। वी. ऋषभ एंटरप्राइजेज एंड एन. आर. , 36 विश्वास के आपराधिक उल्लंघन और गलत निरूपण से उत्पन्न धोखाधड़ी के आरोप

फोटोवोल्टिक सौर संयंत्र की स्थापना और संचालन के लिए खरीदे गए और पट्टे पर दिए गए उपकरण बनाए गए थे। एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था जिसमें इस घोषणा के लिए प्रार्थना की गई थी कि सभी समझौतों को धोखाधड़ी और गलत तरीके से प्रस्तुत करने से दूषित किया गया था। धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की मांग करना

35 (2019) 8 एससीसी 710।

36 (2018) 15 एससीसी 678।

चारों समझौतों के तहत। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल तभी जब न्यायालय संतुष्ट हो कि धोखाधड़ी के आरोप गंभीर और जटिल प्रकृति के हैं, तो क्या न्यायालय के लिए पक्षों को मध्यस्थता के लिए हटाने के बजाय विवादों के विषय से निपटना अधिक उचित होगा। वाणिज्यिक लेन-देन को व्यावसायिक प्रभावकारिता की भावना प्रदान करना न्यायालय का कर्तव्य है, और केवल धोखाधड़ी के आरोप मध्यस्थता के लिए विवादों के संदर्भ को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। 8.9 एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड एंड ओआरएस में हाल ही में दिए गए एक फैसले में। वी. एच. एस. बी. सी. पी. आई. होल्डिंग्स (मॉरीशस लिमिटेड), 3 7 जो एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक अनुबंध से संबंधित है, धोखाधड़ी की मध्यस्थता का मुद्दा विचार के लिए उठा। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि तथ्यों के एक ही समूह के नागरिक और आपराधिक परिणाम हो सकते हैं। यदि यह स्पष्ट है कि किसी नागरिक विवाद में धोखाधड़ी के प्रश्न शामिल हैं,

गलत निरूपण, आदि जो भारतीय अनुबंध, 1872 की धारा 17 के तहत कार्यवाही का विषय हो सकता है, और/या छल का अपकृत्य, केवल यह तथ्य कि उसी विषय के संबंध में आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है या की गई है, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि एक विवाद जो अन्यथा है।

मनमाने ढंग से, ऐसा होना बंद हो जाता है।

इस विचार की पुष्टि एक समन्वित पीठ ने की है।

डेक्कन पेपर मिल्स बनाम। रीजेंसी महावीर 3 8 और विद्या द्रोलिया और अन्य बनाम। दुर्गा व्यापार निगम 3 9.

निहितार्थ। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 विवादों की किसी भी श्रेणी को गैर-मध्यस्थता के रूप में बाहर नहीं करता है। अनुभाग 2
(3) हालाँकि, मध्यस्थता अधिनियम यह मानता है कि कानून द्वारा विवादों की कुछ श्रेणियों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

40

सभी क्षेत्राधिकारों में, विवादों की कुछ श्रेणियां आरक्षित हैं -

7 (2020) एससीसीऑनलाइन एससी 656। 8 (2020) एससीसीऑनलाइन एससी 655।

9 9 2019 की सिविल अपील No.2402 का निर्णय दिनांक 14.12.2020 के निर्णय के माध्यम से किया गया।0 ° धारा 2 (3)। यह भाग उस समय लागू किसी अन्य कानून को प्रभावित नहीं करेगा जिसके आधार पर कुछ विवाद मध्यस्थता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं।

एस. एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो निक्यू फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

विधायिका, सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में, कानून की अदालत द्वारा निर्णय लिया जाना है, क्योंकि वे सार्वजनिक कानून के दायरे में आते हैं।

8.11 परंपरागत रूप से, आर. ई. एम. में अधिकारों से संबंधित विवादों पर अदालतों और/या वैधानिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। आर. ई. एम. में अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर दुनिया के खिलाफ किया जा सकता है। आर. ई. एम. में कार्रवाई उन कार्यों को संदर्भित करती है जो कानूनी स्थिति पैदा करते हैं जैसे कि नागरिकता, तलाक, वसीयतनामा और प्रोबेट मुद्दे आदि। पक्षकारों की सहमति से गठित एक निजी न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता नहीं की जा सकती है। व्यक्तिगत रूप से की गई कार्रवाई विवाद के विषय के पक्षकारों के अधिकारों और हितों को निर्धारित करती है, जो मध्यस्थता योग्य हैं। जिन विवादों को गैर-मध्यस्थ माना जाता है, वे दंडात्मक अपराध हैं जो आपराधिक मंजूरी के साथ देखे जाते हैं; रिश्वत/भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध; तलाक से संबंधित वैवाहिक विवाद, न्यायिक अलगाव, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, बाल अभिरक्षा और संरक्षकता के मामले, जो किसी व्यक्ति की स्थिति से संबंधित हैं; वसीयती मामले जो वसीयत की वैधता, प्रोबेट अनुदान, प्रशासन के पत्र, उत्तराधिकार से संबंधित विवादों से संबंधित हैं, जो स्थिति से संबंधित हैं।

किसी व्यक्ति का, और दीवानी अदालतों द्वारा निर्णय लिया जाता है।

विवादों की कुछ श्रेणियाँ जैसे उपभोक्ता विवाद + 1;

दिवाला और दिवालियापन की कार्यवाही; उत्पीड़न और कुप्रबंधन, या किसी कंपनी का समापन; न्यास, न्यासियों और न्यास के लाभार्थियों से संबंधित विवाद विशेष अधिनियमों द्वारा शासित होते हैं। बूज़ ऐलन एंड हैमिल्टन इंक. बनाम में यह न्यायालय। एस. बी. आई. होम फाइनेंस Ltd.43 ने विवादों के कुछ उदाहरणों को मान्यता दी है जो मध्यस्थता योग्य नहीं हैं, और कहा है कि:

" 36. गैर-मध्यस्थता विवादों के अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त उदाहरण हैं: (i) उन अधिकारों और देनदारियों से संबंधित विवाद जो आपराधिक अपराधों को जन्म देते हैं या उत्पन्न होते हैं; (ii) तलाक, न्यायिक अलगाव, वैवाहिक पुनर्स्थापना से संबंधित वैवाहिक विवाद।

अधिकार, बच्चे की अभिरक्षा; (iii) संरक्षकता के मामले; (iv) दिवाला और मामलों को समाप्त करना; (v) वसीयती मामले (बच्चों को संरक्षण प्रदान करना)

एआर एम. जी. एफ. लैंड लिमिटेड बनाम आफताब सिंह (2019) 12 एस. सी. सी. 751।

अल किशोर शाह और अन्य बनाम। जयेश दिनेश शाह और अन्य। (2016) 8 एससीसी 788।

1) 5 एससीसी 532।

प्रोबेट, प्रशासन के पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र) और (vi) बेदखली या किरायेदारी के मामले विशेष कानूनों द्वारा शासित होते हैं जहां किरायेदार को बेदखली के खिलाफ वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है।

और केवल निर्दिष्ट न्यायालयों को बेदखली देने या विवादों का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है।

8.12 धोखाधड़ी के नागरिक पहलू को समकालीन मध्यस्थता न्यायशास्त्र में मध्यस्थ माना जाता है, एकमात्र अपवाद यह है कि जहां आरोप यह है कि मध्यस्थता समझौता स्वयं धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के प्रलोभन से दूषित होता है, या धोखाधड़ी अंतर्निहित अनुबंध की वैधता तक जाती है, और मध्यस्थता खंड पर ही महाभियोग चलाता है। मामलों की एक अन्य श्रेणी वह है जहां धारा 1044 के तहत मूल अनुबंध को "स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित" किया जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत जहां समझौता एक नाबालिग (संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना) या एक पागल द्वारा किया जाता है, जो एक अनुबंध में प्रवेश करने के लिए अक्षम पक्ष के साथ होगा।

8.13 धोखाधड़ी के नागरिक पहलू पर एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। धोखाधड़ी के नागरिक पहलू को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 17 द्वारा निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" 17. धोखाधड़ी को परिभाषित किया गया। - धोखाधड़ी का अर्थ है और इसमें निम्नलिखित में से कोई भी कार्य शामिल है जो किसी अनुबंध के लिए किसी पक्ष द्वारा, या उसकी मिलीभगत से, या उसके एजेंट द्वारा, धोखा देने के इरादे से किया गया है।

उसमें कोई अन्य पक्षकार या उसका [अभिकर्ता], या उसे अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करना:

(1) एक तथ्य के रूप में, जो सच नहीं है, उसका सुझाव, जो इसे सच नहीं मानता है;

(2) तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना।

44 धारा 10. कौन से समझौते अनुबंध हैं? - सभी समझौते अनुबंध हैं यदि वे अनुबंध करने के लिए सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से, एक वैध विचार के लिए और एक वैध उद्देश्य के साथ किए जाते हैं, और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित नहीं किए जाते हैं। इसमें निहित कुछ भी भारत में लागू किसी

भी कानून को प्रभावित नहीं करेगा, और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं किया जाएगा, जिसके द्वारा कोई अनुबंध लिखित रूप में या गवाहों की उपस्थिति में किया जाना आवश्यक है, या दस्तावेजों के पंजीकरण से संबंधित कोई कानून।

धारा 11. जो अनुबंध करने के लिए सक्षम हैं। प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने के लिए सक्षम है जो उस कानून के अनुसार वयस्क आयु का है जिसके अधीन वह है, और जो स्वस्थ दिमाग का है और किसी भी कानून द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य नहीं है जिसके अधीन वह है।

एस. एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो निक्यू फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

(3) उसे पूरा करने के किसी भी इरादे के बिना किया गया वादा;

(4) धोखा देने के लिए उपयुक्त कोई अन्य कार्य; (5) ऐसा कोई कार्य या चूक जो कानून विशेष रूप से घोषित करता है।

धोखेबाज होना "।

अब हम विचार करेंगे कि क्या रद्द किए जा सकने वाले समझौते हैं।

8.14 मनमाने ढंग से। रद्द करने योग्य समझौतों को धारा 19 द्वारा परिभाषित किया गया है

अनुबंध अधिनियम इस प्रकार है:

" 19. स्वतंत्र सहमति के बिना समझौतों को रद्द करना। जब किसी समझौते के लिए सहमति जबरदस्ती, धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के कारण होती है गलत निरूपण, समझौता एक अनुबंध है जो उस पक्ष के विकल्प पर अमान्य है जिसकी सहमति इस कारण हुई थी।

सच है। अपवाद। यदि ऐसी सहमति गलत तरीके से प्रस्तुत करने या मौन रहने के कारण, धारा 17 के अर्थ के भीतर धोखाधड़ी के कारण हुई थी, तो भी अनुबंध अमान्य नहीं है, यदि जिस पक्ष की सहमति इस तरह से दी गई थी, उसके पास सच्चाई का पता लगाने का साधन था।

सामान्य परिश्रम।

स्पष्टीकरण। एक धोखाधड़ी या गलत निरूपण जो उस पक्ष के अनुबंध के लिए सहमति का कारण नहीं बना, जिसके साथ इस तरह की धोखाधड़ी की गई थी, या जिसके लिए ऐसी गलत प्रस्तुति की गई थी,

किसी अनुबंध को अमान्य न करें। "

अमान्य समझौतों के मामले में, ऐसे विवाद होंगे -

, या गलत निरूपण पर प्रमुख साक्षय द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जिसे मध्यस्थता के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से तय किया जा सकता है। यह भारतीय संविधान की धारा 2 (आई) और (जे) के अनुसार इस प्रकार साबित और बरकरार रखा गया।आर. ए. सी. टी. अधिनियम, 1872 ऐसा समझौता प्रवर्तनीय बना रहेगा, और

शून्य।

8.15 स्विस टाइमिंग लिमिटेड बनाम। राष्ट्रमंडल खेल 2010 आयोजन समिति, 45 एकल न्यायाधीश (यू/एस के तहत शक्तियों का प्रयोग करना।

4) 6 एससीसी 677।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11) राय है कि जब अंतर्निहित अनुबंध के अमान्य होने के आधार पर मध्यस्थता से बचने के लिए एक याचिका ली जाती है, तो अदालत को बचाव की वास्तविक प्रकृति का पता लगाने की आवश्यकता होती है। अक्सर, 'शून्य' और 'शून्य' शब्दों का उपयोग शिथिल रूप से और एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। अदालत को भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए याचिका की जांच करनी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कोई सबूत प्राप्त किए बिना अनुबंध अमान्य है, कुछ मामलों में मध्यस्थता के संदर्भ को अस्वीकार करना उचित हो सकता है।

अलग-थलग मामले। ये ऐसे मामले होंगे जहां अदालत आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि अनुबंध को सार्थक रूप से पढ़ने पर अमान्य है।

अनुबंध दस्तावेज़ स्वयं। हालांकि, मध्यस्थता को दरकिनार करने की अनुमति नहीं होगी जहां बचाव यह है कि

अनुबंध अमान्य है, जो भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 12,14,15,16,17,18 में उल्लिखित परिस्थितियों के तहत आने वाले मामले हैं।

भले ही स्विस टाइमिंग लिमिटेड एक का निर्णय था

1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत मुख्य न्यायाधीश का पदनाम

(संशोधन से पहले), और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए इसका कोई पूर्ववर्ती मूल्य नहीं होगा। एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्टर्स, 46 स्विस टाइमिंग लिमिटेड में तर्क को इस न्यायालय द्वारा एविटेल पोस्ट स्टूडियोज लिमिटेड और अन्य में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है। वी. एचएसबीसी पी. आई. होल्डिंग्स (मॉरीशस लिमिटेड) 47.

8.16 जिस आधार पर धोखाधड़ी को पहले गैर-मध्यस्थ माना जाता था, वह यह था कि इसमें भारी और व्यापक सबूत शामिल होंगे।

और मध्यस्थता में निर्णय लेने के लिए बहुत जटिल होगा। समकालीन मध्यस्थता व्यवहार में, मध्यस्थता न्यायाधिकरणों को तेल, प्राकृतिक गैस, निर्माण उद्योग आदि जैसे विभिन्न प्रकार के विवादों में सामग्री की मात्रा को पार करने की आवश्यकता होती है। यह आधार कि धोखाधड़ी के आरोप मनमाने नहीं हैं, एक पूरी तरह से पुराना दृष्टिकोण है, जो अप्रचलित हो गया है और खारिज किए जाने योग्य है। हालाँकि, धोखाधड़ी, जालसाजी या मनगढ़ंत के आपराधिक पहलू, जिसे दंडात्मक परिणामों और आपराधिक प्रतिबंधों के साथ देखा जाएगा, केवल कानून की अदालत द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप एक दोषसिद्धि हो सकती है, जो सार्वजनिक कानून के दायरे में है। 48

5) 1 एससीसी 32.

0) एससीसीऑनलाइन एससी 656।

मध्यस्थता के कानून पर नोट्रा की टिप्पणी, [चौथा संस्करण।, वोल्टर्स क्लूवर (2020)],

खंड I.

' एस. एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो निक्यू फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

8.17 वर्तमान मामले में, सम्मान के साथ धोखाधड़ी के आरोप

बैंक गारंटी का आह्वान मध्यस्थता योग्य है, क्योंकि यह पक्षों के बीच विवादों से उत्पन्न होता है, और इसमें नहीं है

9. रिट याचिका की रखरखाव क्षमता 9.1

हमारा विचार है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांकित 18.01.2018 आदेश को चुनौती देने के लिए दायर रिट याचिका पारित हो गई है।

विशेष वाणिज्यिक न्यायालय/जिला न्यायाधीश-I द्वारा वाणिज्यिक में

विवाद सं. 62/2017 बनाए रखने योग्य नहीं था, क्योंकि एक वैधानिक मध्यस्थता अधिनियम की संशोधित धारा 37 के तहत उपाय है -

उपलब्ध है। धारा 37 (1) को 2016 0 9 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधित किया गया है। धारा 37 (1) (ए) में किसी आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का प्रावधान है।

पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने से इनकार करना।

धारा 37 (1) (ए) इस प्रकार है:

" 37. अपील योग्य आदेश। - (1) न्यायालय के मूल फरमानों से अपील सुनने के लिए कानून द्वारा अधिकृत न्यायालय को निम्नलिखित आदेशों (और किसी अन्य से नहीं) से अपील की जाएगी। आदेश पारित करना, अर्थात्:

(क) धारा के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करना

8 ; ..... "

9.2 चूंकि वाणिज्यिक न्यायालय का निर्णय और आदेश दिनांकित था। 2018 पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करना मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 (1) (ए) के तहत अपील योग्य था, रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं थी। अपील वाणिज्यिक के समक्ष होगी

धारा 13 (1ए) के तहत उच्च न्यायालय का अंतिम प्रभाग

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015। धारा 13 (1ए) इस प्रकार है:

" 13. वाणिज्यिक न्यायालयों के आदेशों से अपील और

वाणिज्यिक प्रभाग। - (1) कोई भी व्यथित व्यक्ति

जिला न्यायाधीश के स्तर से नीचे के वाणिज्यिक न्यायालय का निर्णय या आदेश वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय में अपील कर सकता है।

निर्णय या आदेश की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर।

(1 क) मूल सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश के स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति या, जैसा भी मामला हो, वाणिज्यिक

ch 23.10.2015 पर लागू हुआ।

21] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय का प्रभाग वाणिज्यिक को अपील कर सकता है

साठ की अवधि के भीतर उस उच्च न्यायालय का अपीलीय प्रभाग

निर्णय या आदेश की तारीख से दिन:

बशर्ते कि पारित किए गए ऐसे आदेशों के खिलाफ अपील की जाए

किसी वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा जो

संहिता के आदेश XLIII के तहत विशेष रूप से गणना की गई सिविल प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5) जैसा कि इस अधिनियम और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 द्वारा संशोधित किया गया है।

1996) . ”

एक सांविधिक उपचार की उपलब्धता को देखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत पारित उच्च न्यायालय के फैसले को निम्नलिखित आधार पर दरकिनार किया जा सकता है:

रखरखाव।

10. वर्तमान मामले में, चूंकि दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है

पक्षकारों के बीच मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व, जैसा कि उच्च न्यायालय के निर्णय में दर्ज किया गया है, और मौखिक प्रस्तुतियों के दौरान भी इस न्यायालय के समक्ष, पक्षकार या तो सहमति से एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त कर सकते हैं; ऐसा न करने पर, यू/एस के तहत एक आवेदन। 11 मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है।

11. ऊपर की चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि:

डब्ल्यू. पी. में विवादित निर्णय और आदेश दिनांक 30.09.2020।

((i)

बंबई उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2020 का सं. 1801 निर्धारित किया गया है।

एक तरफ;

((ख)

हम इस न्यायालय के महासचिव को जब्त करने का निर्देश देते हैं दिनांकित कार्य आदेश 28.09.2015, और इसे महाराष्ट्र में संबंधित कलेक्टर को उक्त साधन पर देय स्टाम्प शुल्क के मूल्यांकन के लिए अग्रेषित करें, जिसे प्राप्त होने के 45 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है;

देय स्टाम्प शुल्क के निर्धारण पर, अपीलार्थी

(iii)

/ वादी को महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 30 (एफ-ए) के तहत कलेक्टर द्वारा भुगतान की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर मूल्यांकन करने का निर्देश दिया जाता है।

आदेश का संचार;

तथापि, कलेक्टर द्वारा मूल्यांकन किया गया स्टाम्प शुल्क पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए उपलब्ध वैधानिक अधिकार के अधीन होगा।

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के तहत अपील।

एम/एस। एन. एन. ग्लोबल मर्चेंटाइल पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एम/एस। इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड। & अन्य [इंदू मल्होत्रा, जे.]

(iv) बैंक गारंटी के आह्वान के संबंध में, अपीलार्थी यू/एस के तहत अंतरिम राहत की मांग कर सकता है। 9 मध्यस्थता का

और सुलह अधिनियम, 1996।

हम उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक को आठ सप्ताह की और अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

12. हमारा विचार है कि एस. एम. एस. टी एस्टेट्स और गरवारे में निष्कर्ष यह है कि स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

वाणिज्यिक अनुबंध मध्यस्थता समझौते को भी अमान्य कर देगा, और इसे कानून में गैर-मौजूद बना देगा, और गैर-प्रवर्तनीय, कानून में सही स्थिति नहीं है।

विद्या द्रोलिया मामले में एक समन्वय पीठ द्वारा दिए गए फैसले के पैराग्राफ 92 में दिए गए निष्कर्ष को देखते हुए, जिसने इस फैसले की पुष्टि की है

गरवारे, उपरोक्त मुद्दे को इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अधिकृत रूप से निपटाया जाना आवश्यक है। हम इस न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा अधिकृत रूप से हल किए जाने के लिए निम्नलिखित मुद्दे को संदर्भित करना उचित समझते हैं:

" क्या भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 35 में निहित सांविधिक प्रतिबंध अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के तहत स्टाम्प शुल्क के लिए प्रभार्य उपकरणों पर लागू होता है,

इस तरह के एक में निहित मध्यस्थता समझौते को भी प्रस्तुत करें

प्रपत्र, जो स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए प्रभार्य नहीं है, के रूप में गैर-मौजूद, अप्रवर्तनीय, या अमान्य, लंबित भुगतान

मूल अनुबंध/साधन पर स्टाम्प शुल्क का?

उसी के आलोक में, रजिस्ट्री इस मामले को उचित आदेशों/निर्देशों के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रख सकती है।

अंकित ज्ञान

संविधान पीठ को भेजा गया मुद्दा।